शिक्षाकर्मी प्रायोजना

राजस्थान, भारत

प्रायोजना का दस्तावेज़

शिक्षाकर्मी बोर्ड, राजस्थान
सीकर हाऊस, जयपुर

शिक्षाकर्मी प्रायोजना

राजस्थान, भारत

प्रायोजना का दस्तावेज़

शिक्षाकर्मी बोर्ड, राजस्थान
सीकर हाऊस, जयपुर

अक्टूबर, 1986 संशोधित : सितम्बर, 1987
हिन्दी संस्करण : मार्च, 1989

— 5441
3745
RAJ - S

फोटोटाईप सैटिंग : कोमप्रिन्ट, जयपुर
मुद्रक : जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर

विषय सूची

प्रस्तावना 1

सारांश 2

1. प्रायोजना की रूपरेखा 5

1.1 भूमिका 5

1.2 शिक्षाकर्मी संकल्पना 6

1.3 प्रायोजना की रूपरेखा 8

1.4 उद्धेश्य तथा लक्ष्य 11

1.5 कार्य-योजना 12

1.6 निर्दिष्ट लक्ष्य 13

1.7 जोखिम और नाजुक मसले 13

1 प्रशिक्षण, प्रबोधन और प्रोत्साहन 13

2 संगठनात्मक विकास 14

3 गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान 15

2. क्रियान्विति की योजना 16

2.1 प्रायोजना के कार्य 16

1 गाँवों का निर्धारण और चयन 17

2 शिक्षाकर्मीयों की खोज और चयन 18

3 प्रायोजनाकर्मियों का प्रशिक्षण 19

4 शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण 20

5 महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केंद्र 21

6 रात्रि केंद्रों की स्थापना 22

7 दिन के स्कूलों की स्थापना/अधिग्रहण 24

8 पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री का विकास 24

9 अनुवर्तन, समर्थन तथा परिवीक्षण 26

2.2	**प्रायोजना के घटक**	30
1	मानव संसाधन	30
2	संगठन और प्रबंध	34
3	उपस्कर आदि संभार सामग्री	38
4	अनुसंधान	39
5	प्रबोधन तथा प्रतिवेदन	39
6	मूल्यांकन और समीक्षा	41
7	सम्बद्ध अध्ययन तथा विदेशी सलाहकारिता	42
8	प्रायोजना का क्रमबद्ध विस्तार	42
2.3	**बजट तथा वित्तीय प्रश्न**	43
1	प्रायोजना व्यय	43
2	बजट	43
3	पूर्वव्यापी वित्तीय प्रावधान	52
4	व्यय की भागीदारी	54
5	विदेशी विनिमय की आवश्यकताएँ	54
6	मध्यावधि समीक्षा तथा बजट संशोधन	55
3	**कार्य-योजना, 1987-88**	56A, 56B
परिशिष्ट-1 :	**शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण**	57
परिशिष्ट-2 :	**सहकारी मूल्यांकन**	60
परिशिष्ट-3 :	**विभिन्न उपकरणों की भूमिका**	62
परिशिष्ट-4 :	**संख्यात्मक लक्ष्य**	65

प्रस्तावना

इस प्रायोजना का दस्तावेज राजस्थान सरकार, भारत सरकार तथा स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा संयुक्त रूप से तब तैयार किया गया था जब स्वीडन का शिष्टमण्डल 15 से 26 सितम्बर, 1986 तक राजस्थान व दिल्ली में आया था। इससे पहले इस दस्तावेज की तैयारी एक ऐसे ही संयुक्त शिष्टमण्डल द्वारा फरवरी, 1986 में तैयार की गयी थी और उसी पर यह दस्तावेज आधारित है।

शिष्टमण्डल के सदस्य थे :

श्री एस. एम. आचार्य,
उप सचिव, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, दिल्ली

श्री ललित किशोर,
परामर्शदाता

श्री चतरसिंह मेहता,
निदेशक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, जयपुर

श्रीमती ए. रूनबर्ग,
प्रथम सचिव, स्वीडिश दूतावास/ डी.सी.ओ., दिल्ली

श्री यू. विनब्लाड,
परामर्शदाता

सारांश

इस दस्तावेज में 2220 लाख रुपयों के छह-वर्षीय प्रायोजना-कार्य का विवरण हैं। इस प्रायोजना का उद्देश्य राजस्थान के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों के 2000 गाँवों में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और उसे नवजीवन देना है। जिन समस्याओं के समाधान के लिए यह प्रायोजना बनायी गयी है, वे हैं :

- खास करके लड़कियों के नामांकन की कमी,
- अपक्षरण की अधिकता,
- शिक्षकों की अनुपस्थिति और
- पाठ्यक्रम में स्थानीय तत्वों का अभाव।

इस प्रायोजना का निर्माण तिलोनिया प्रोजेक्ट के अनुभवों और उसमें अपनाई गयी रीतियों के आधार पर किया गया। तिलोनिया अजमेर के सिलोरा विकास-खण्ड में है और वहां राजस्थान सरकार और समाज सेवा तथा अनुसन्धान केन्द्र नाम की संस्था (एस. डब्ल्यू. आर. सी.) ने मिल कर एक प्रायोजना चलायी थी। वहां नवाचार यह था कि गांव में शिक्षक के बदले दो शिक्षाकर्मियों के दल का उपयोग किया गया था।

शिक्षाकर्मी उसी गांव में रहने वाला व्यक्ति होगा। उसकी न्यूनतम योग्यता आठवीं कक्षा पास होगी। उसका चयन एक खास चयन समिति द्वारा किया जायेगा। शिक्षण कार्य में उसकी स्वयं की रुचि और गांव वालों की मंजूरी उसके चयन के मानदण्ड होंगे। उसे एक महीने के बुनियादी प्रशिक्षण के बाद अपने गांव में निर्धारित विद्यालय का कार्यभार संभालना होगा और वहां प्रहर पाठशाला की पद्धति पर अध्यापन कार्य करना होगा। उनके जिम्मे 45 से 50 तक बच्चे होंगे। जो बच्चे दिन के विद्यालय में न आ सकें, उनके लिए उन्हें रात्रि केन्द्र चलाने होंगे। वे रात्रि केन्द्र ऐसे स्थान पर होंगे जो कि बच्चों के लिए सुविधाजनक हों। उन रात्रि केन्द्रों पर उन्हें पुनः दो घण्टे की पाठशाला चला कर 45 से 50

बच्चों को पढ़ाना होगा। उसके लिए पहली से पांचवीं कक्षा तक विशेष तौर पर बनाया गया पाठ्यक्रम काम में लिया जाएगा।

महिला शिक्षाकर्मियों की भरती के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। योग्यताधारी महिला शिक्षाकर्मी न मिलें तो प्राइमरी पास लड़कियों को चुन कर निर्धारित योग्यता पूरी कराने के लिए 20 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे जो उन्हें कक्षा आठवीं तक शिक्षा की योग्यता दिला सकें।

पाठ्यक्रम और पढ़ाने की विधियों में ऐसे नये कामों के विकास की अपेक्षा है जिसमें पढ़ाई छात्र-केन्द्रित और स्थानीय वातावरण से सम्बन्धित हो। साथ ही सीखने की गति व स्तर में सुधार हो। 'संधान' तथा 'राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान' और शिक्षाकर्मी स्वयं अपने हर कार्यक्रम में इन बुनियादी आधारों के प्रति सजग रहेंगे और योगदान करेंगे।

इस व्यवस्था की एक आवश्यक बात यह होगी कि अपनी इच्छा से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षाकर्मी को हर ओर से निरन्तर समर्थन और प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके लिए प्रायोजना में निरन्तर मार्गदर्शन, सहयोगी मूल्यांकन, नवीनीकरण कार्यक्रम और अच्छे प्रशिक्षण को महत्त्व दिया गया है।

इस प्रायोजना का संगठन इस लक्ष्य से किया गया है कि सरकारी मशीनरी (प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय, रा.शि.अनु. एवं प्र.सं., विकास अधिकारी) तथा गैर सरकारी संगठन (संधान, विकास अध्ययन संस्थान, स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाएं) बहुत घनिष्ठता के साथ, आपसी सहयोग से इसमें काम करेंगे।

प्रायोजना का विस्तार धीरे-धीरे होगा। अधिकतम 140 विकास खण्डों में 2100 गाँवों में और 5000 शिक्षाकर्मी तक इसका विस्तार होगा। बीच-बीच में संयुक्त समीक्षा दल उपलब्धियों की जांच करेगा और वह यदि आवश्यक समझेगा तो प्रायोजना के विभिन्न कार्यक्रमों और विस्तार

की गति में परिवर्तन के सुझाव देगा। नया काम होने से और कठिन क्षेत्र व दुर्गम जनसंख्या का लक्ष्य होने के कारण इस प्रायोजना का काम बहुत जोखिम भरा है। सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि कहीं शिक्षाकर्मी योजना का अनियमित और अनियन्त्रित विस्तार न हो जाये। ऐसा न हो कि शिक्षा का स्तर पहले से भी अधिक गिर जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो प्रायोजनाधीन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति खराब हो जाएगी। इस प्रायोजना की संकल्पना प्राथमिक शिक्षा को सजीव, इच्छापरक और सार्थक बनाने की है और इसलिए सम्बन्धित राजकीय संस्थानों का दायित्व पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस योजना का विस्तार करने से पहले प्रभावशाली मार्गदर्शन, समानान्तर मूल्यांकन, वर्तमान एवं भावी साधन और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है।

1. प्रायोजना की रूपरेखा

1.1 भूमिका

फरवरी, 1984 में राजस्थान सरकार ने 'समाज सेवा एवं अनुसन्धान केन्द्र, तिलोनिया' तथा 'पंचायत समिति, सिलोरा' व 'राज्य शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर' के सहयोग से (अजमेर जिले में) एक प्रयोग किया। उद्देश्य था–वहाँ के 13 दूरन्दराज के गाँवों में–जहाँ अध्यापक अक्सर अनुपस्थित रहते थे, प्राथमिक शिक्षा बेअसर हो गयी थी और नामांकन लगभग नहीं के बराबर हो गया था– शिक्षा को नया जीवन देना।

इस प्रयोग में पहले तो पंचायत समिति ने वे 13 गाँव तय किए जहाँ कि अध्यापक अक्सर नहीं जाते थे। उसके बाद उन गाँवों में से ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई गयी जो कि शिक्षाकर्मी बनने के योग्य थे और उस काम में रुचि रखते थे। इस सूची को तैयार करने में पंचायत समिति, समाज सेवा एवं अनुसन्धान केन्द्र और गाँवों के बुजुर्ग और रुचिशील लोगों का सहयोग लिया गया। व्यक्तिगत सम्पर्क करके, इच्छुक व्यक्तियों की योग्यता का पता लगाया। उनके बारे में गाँव के लोगों की राय आदि की जानकारी करके 26 ऐसे व्यक्तियों का चयन किया गया जो शिक्षाकर्मी बनना चाहते थे। उन्हें तिलोनिया के अनुसन्धान केन्द्र पर एक महीने का सघन प्रशिक्षण दिया गया। उस प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और

शिक्षण सामग्री का निर्माण राज्य शैक्षिक संस्थान ने किया था। प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक संस्थान तथा तिलोनिया के अनुसन्धान केन्द्र और सेवानिवृत्त शिक्षाविदों ने दिया था। मार्च, 1984 से उन शिक्षाकर्मियों ने अपने-अपने गाँव की स्कूलों में शिक्षण कार्य आरम्भ कर दिया। पूरे समय वाले अध्यापकों को वहाँ से हटा दिया गया और शिक्षाकर्मियों ने सारा कार्य संभाल लिया। शिक्षाकर्मियों को तिलोनिया केन्द्र से निरन्तर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता रहा। साल में दो बार उन्हें 15-15 दिनों का नया प्रशिक्षण भी दियों गया।

इस प्रयोग के अच्छे परिणाम निकले। गाँव के लोगों ने अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में रुचि दिखा कर, स्कूल के कार्यक्रमों में मौजूद रहकर और शिक्षाकर्मी को सहयोग दे कर बच्चों की शिक्षा में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। विकास अधिकारी के आंकड़ों के अनुसार स्कूलों में नामांकन की दर में कुल मिलाकर 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। उसमें छात्राओं की वृद्धि 136 प्रतिशत रही और जनजाति के छात्रों की 50 प्रतिशत रही। विद्यालयों के वातावरण में और काम करने की क्षमता में बहुत सुधार आया।

1.2 शिक्षाकर्मी संकल्पना

शिक्षाकर्मी चुने हुए गाँव का स्थानीय व्यक्ति होता है। वह निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता है। गाँव के विकास में रुचि रखता है और उसमें खुद सीखने और दूसरों को सिखाने की लगन होती है।

शिक्षाकर्मी संकल्पना मूलतः इस मान्यता पर आधारित है कि गाँव या समुदाय में किसी भी तरह के परिवर्तन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्त्ता उसी गाँव या समुदाय का निवासी हो और गाँव के साथ उसका सामाजिक और भावनात्मक लगाव हो। शिक्षा के मामले में यह और भी अधिक आवश्यक है। समुदाय शिक्षक को स्वीकार करे, उस पर विश्वास करे, यह उतना ही जरूरी है जितना कि शिक्षक का ज्ञान और पढ़ाने का तरीका। दुर्गम, दूर बसे और साधनहीन गाँवों में

शिक्षक का स्थानीय होना और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बाहर से आने वाला अध्यापक न तो वहाँ रहना चाहता है, न वह वहाँ लगाव पैदा कर सकता है। न वह वहाँ के लोगों का विश्वासपात्र होता है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और पुरानी मान्यताओं में जकड़े गांवों में जनता का विश्वास जीतना बाहरी शिक्षक के लिए कठिन काम होता है। अतः ऐसे स्थानों में शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता का मानदण्ड कम महत्त्व का हो जाता है और उसकी स्थानीयता, उसकी क्षमता और काम करने की उसकी इच्छा का मानदण्ड ज्यादा महत्त्व का हो जाता है।

गाँव में शिक्षाकर्मी के काम और जिम्मेदारियाँ इस तरह से निर्धारित हैं :–

- वह गाँव में ही रहने वाला और वहाँ स्वयंसेवक की भावना से शिक्षा का कार्य करने वाला व्यक्ति है।
- अपने पढ़ाने-सिखाने के कार्यों में वह स्थानीय मांगों और जरूरतों की शामिल करने वाला और उन्हें प्रासंगिक बनाने वाला है।
- उससे अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों की नियमित हाजिरी को प्रोत्साहित करता रहे और हर बच्चे को पूरे पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य निभाए।
- उससे अपेक्षा की जाती है कि गाँव के लोगों के सहयोग से तथा बाहरी अभिकरणों की मदद से वह प्राथमिक विद्यालय तथा/अथवा रात्रि केन्द्रों का संचालन करे।
- किसी प्राथमिक विद्यालय के नियमित अध्यापक से शिक्षाकर्मी इस मायने में अलग है कि एक तो वह गाँव का ही निवासी होता है, स्वयंसेवी भावना से विकास की प्रक्रिया के साथ

जुड़ा होता है और उसे शैक्षिक विकास के लिए निरन्तर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिलता रहता है।

- दूसरे, वह गाँव के विभिन्न सामाजिक और विकास कार्यों में भागीदार और सामाजिक कार्यकर्त्ता भी होता है।

1.3 प्रायोजना की रूपरेखा

सिलोरा विकास खण्ड के अनुभवों ने इस विचार को बल दिया है कि राज्य में दुर्गम और असुविधाजनक स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा को नया ढंग देने के लिए शिक्षाकर्मी योजना को अन्य क्षेत्रों में, अधिक व्यवस्था के साथ लागू करके देखा जाए। राजस्थान के दूरदराज के गाँवों में ऐसी कई स्कूलें हैं जहाँ अध्यापकों की बहुत ज्यादा गैरहाजिरी और उनकी उदासीनता के कारण सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार में बाधा आ रही है। इस प्रायोजना में प्राथमिक स्कूलों के साथ रात के अनौपचारिक केन्द्रों की व्यवस्था है जो कि शिक्षा को गति और सार्थकता देने का लक्ष्य रखती है।

जब किसी छोटे से क्षेत्र में, भारी नियन्त्रण और पूरे लवाजमे के साथ किए गए प्रयोग के अनुभवों को सही मानकर बड़े क्षेत्र में फैलाने का प्रयत्न किया जाता है तो कई नई कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इस प्रायोजना के साथ भी ऐसा ही हो सकता है।

प्रायोजना के लिए हमें सरकारी संस्थाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करना होगा। सिलोरा के प्रयोग में तो वहाँ 'संधान केन्द्र' का निरन्तर प्रबोधन और समर्थन उपलब्ध था, किन्तु वैसी सुसंगठित संस्थाएं बहुत कम जगहों पर हैं। एक खतरा यह है कि शिक्षाकर्मी योजना कहीं वर्तमान प्राथमिक शिक्षा की बराबरी में एक नई व्यवस्था न बन जाए। ऐसा न हो कि वह वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का विकल्प बन जाए। उसे हमें वर्तमान व्यवस्था के भीतर ही एक सुधार या इलाज के रूप में विकसित करना होगा।

स्वयं-सेवा की भावना से काम करने वाले शिक्षाकर्मी के चुनाव उसके प्रशिक्षण, प्रबोधन और प्रोत्साहन पर पूरा ध्यान रखना होगा। उसके बिना प्रायोजना की सफलता खतरे में पड़ सकती है। प्रायोजना के लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जबकि उसमें पर्याप्त लचीलेपन की गुंजाइश रखी जाए।

हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह प्रायोजना प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्वथा नई रीति लेकर चल रही है इसलिए यह बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मामला हो जाता है। जहाँ भी यह चले, वहाँ शिक्षाकर्मी को निरन्तर प्रबोधन, सहकारी मूल्यांकन, समर्थन और घनिष्ठ भागीदारी की जरूरत होगी।

इसका मतलब यह है कि जिन सरकारी संस्थाओं का इससे सम्बन्ध होगा, उनको बिल्कुल भिन्न प्रकार की जिम्मेदारी निभानी होगी।

इस प्रायोजना में अध्यापक की निर्धारित योग्यता और उनका प्रशिक्षण उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना शिक्षाकर्मी का स्थानीय लगाव, विकास से जुड़ने की इच्छा और निरन्तर काम में बने रहने की भावना का है। शिक्षाकर्मी की रुचि, काम की लगन और समुदाय का विश्वास उसके चयन के निर्णायक मानदण्ड होंगे। अतः नियमतः यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षाकर्मी कम-से-कम आठवीं पास हो।

इसके साथ यह भी सर्वमान्य है कि शिक्षा का एक लक्ष्य लड़कियों का नामांकन और उनकी व्यापक शिक्षा का है। इसलिए इस प्रायोजना में यह प्रावधान है कि महिला शिक्षाकर्मियों को व्यापक स्तर पर तैयार किया जाए, चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता आठवीं पास से कम भी क्यों न हो। यदि कमी हो तो उनकी शिक्षा और प्रशिक्षा के लिए भी अधिक प्रयत्न करने होंगे।

शिक्षाकर्मी योजना के मुख्य लक्ष्यों को इस तरह से कहा जा सकता है :—

जिन गाँवों का चयन उनकी दुर्गमता, बहुत कम नामांकन,

अध्यापक की ज्यादा गैरहाजिरी के आधार पर किया जाएगा, वहाँ से नियमित अध्यापक को हटा लिया जायेगा। उसकी जगह वहाँ स्वयंसेवक भावना से स्कूल तथा/अथवा रात्रि केन्द्र चलाने के लिए शिक्षाकर्मी को रखा जाएगा। उसे प्रारम्भिक तथा निरन्तर प्रबोधन दिया जाता रहेगा और उसकी सेवा के बदले में मानदेय भी दिया जायेगा।

सामान्यतया स्कूल और रात्रि केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय में चलाये जायेंगे। किन्तु यदि वह जगह कम पड़े अथवा असुविधाजनक हो तो गाँववालों की मंजूरी से किसी दूसरे स्थान पर भी उन्हें चलाया जा सकेगा।

छात्रों और छात्राओं दोनों का नामांकन बढ़ाने के लिए हर गाँव में दो शिक्षाकर्मी होंगे– एक पुरुष और एक महिला। यदि छात्रों की संख्या अधिक हो जाए तो तीसरे शिक्षाकर्मी का प्रावधान हो सकेगा। शिक्षाकर्मी द्वारा चलाई जाने वाली स्कूल पहर-पाठशाला होगी। उसके अलावा शिक्षाकर्मी को उन बच्चों के लिए रात्रि केन्द्र चलाना होगा जो कि दिन वाली स्कूल में नहीं आ सकते।

शिक्षाकर्मी योजना का विस्तार करते समय नये गाँवों के चुनाव और प्रायोजना के फैलाव को समयबद्ध तरीके से नियन्त्रित किया जायेगा ताकि प्रायोजना की शक्ति को आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सके। क्रियान्विति में सुगमता तथा लचीलापन लाने के लिए किसी गैर सरकारी संस्था को जिम्मेदार बनाया जाएगा। गाँवों में शिक्षाकर्मियों के चयन, प्रशिक्षण, प्रबोधन तथा निरन्तर प्रोत्साहन के लिए स्थानीय संस्था को सहयोगी बनाया जाएगा। जहाँ ऐसी कोई संस्था न हो वहाँ पहले किसी संस्था के गठन और उसकी स्थापना का प्रयत्न करना होगा। विकास खण्ड के स्तर पर समन्वय करने, प्रवर्तन करने और प्रतिवेदन बनाने आदि की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की होगी। उसकी सहायता के लिए हर विकास खण्ड पर एक अलग शिक्षा प्रसार अधिकारी होगा। शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं रात्रि केन्द्र में 'राज्य

शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर' द्वारा तैयार पाठ्यक्रम तथा सहायक सामग्री का उपयोग होगा। तथापि उनमें 'संधान' तथा सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नई बातें जोड़ने की गुंजाइश बनी रहेगी। शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वे शिक्षण सामग्री को स्थानीय जरूरत तथा बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाने की विधियों में सक्षम हो सकें।

यद्यपि प्रायोजना के संचालन का उत्तरदायित्व 'अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार' पर होगा तथापि उसकी सहायता के लिए गैर सरकारी संस्थान (संधान, जयपुर) वास्तविक भूमिका निभाएगा। वह गाँवों में गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने में, शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण में तथा प्राथमिक शिक्षा में प्रयोग और अनुसन्धान करने के लक्ष्यों में नेतृत्व करेगा।

1.4 उद्देश्य तथा लक्ष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा सातवीं योजना में बताये गये प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों की ध्यान में रखते हुए प्रायोजना के उद्देश्य इस तरह से होंगे :–

राजस्थान राज्य के उन दूरस्थ गाँवों में सार्वजनिक शिक्षा को प्रभावकारी बनाना जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्रभावकारी नहीं हो सकी है, वहाँ प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय आवश्यकता से जोड़कर उसमें गुणात्मकता लाना।

प्रायोजना वाले गाँवों में शिक्षारत सब बच्चों को पाँचवीं कक्षा तक (उसके समकक्ष) शैक्षिक योग्यता प्रदान करना, खास करके छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए।

इन उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रायोजना के लक्ष्य इस तरह से होंगे :–

निर्धारित समस्याग्रस्त गाँवों में से उपयुक्त शिक्षाकर्मियों का चयन

करना। उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें अपने गांव में प्राथमिक स्कूल/रात्रि केन्द्र चलाने के लिए तैयार करना। शिक्षाकर्मी अपना दायित्व निभा सकें इसके लिए गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी की ऐसी प्रणाली विकसित करना जो शिक्षाकर्मियों की निरन्तर प्रबोधन, समर्थन और प्रोत्साहन दे सके।

1.5 कार्य-योजना

यह प्रायोजना दुर्गम और समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा सुविधा का विस्तार और सुधार का लक्ष्य रखती है। इसके लिए गैर सरकारी संस्थाओं के लचीलेपन और स्वयंसेवक भावना का उपयोग करना इसमें लक्षित है ताकि गाँवों को और वहाँ कार्यरत शिक्षाकर्मियों को निरन्तर सहयोग, समर्थन और प्रबोधन मिलता रहे।

किन्तु राज्य में हर जगह स्वैच्छिक संस्थाएँ मौजूद नहीं हैं। चूंकि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की संवैधानिक जिम्मेदारी राज्य की है, इसलिए इस प्रायोजना में शिक्षाकर्मी योजना के गठन और संचालन का दायित्व सरकार के 'प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय' पर रहेगा।

प्रायोजना के जो संख्यात्मक लक्ष्य बिन्दु 1.6 में बताये गये हैं, उन्हें लक्ष्यों की ऊपरी सीमा मानना चाहिये। प्रायोजना के समयबद्ध और विस्तार के कार्यों का निर्धारण बहुत सोच-विचार के साथ – निर्धारित मानदण्डों और संस्थाओं की क्षमता के सन्दर्भ में – वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए।

उसी तरह से विकास खण्डों और गाँवों का चयन तथा गाँवों में से शिक्षाकर्मियों का चयन भी दस्तावेज में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

आरम्भिक दो वर्षों तक योजना की क्रियान्विति ऐसे विकास खण्डों/जिलों में की जानी चाहिए जहाँ कि उसे किसी गैर सरकारी संस्था का सहयोग प्राप्त हो सके। इससे कार्य-प्रणाली में लचीलापन आ सकेगा, सहयोग के स्वरूप का और शिक्षाकर्मियों के चयन, उनके प्रबोधन आदि की प्रक्रिया का विकास हो सकेगा।

1.6 निर्दिष्ट लक्ष्य

उपरोक्त रूपरेखा के आधार पर प्रायोजना के संख्यात्मक लक्ष्य इस प्रकार से होंगे:—

- राज्य के 140 विकास खण्डों के 2000 गाँवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करना अथवा उनका अधिग्रहण करना।
- कुल 5000 शिक्षाकर्मियों का चयन, उनका प्रशिक्षण तथा उनके लिए निरन्तर प्रबोधन और प्रोत्साहन की व्यवस्था करना।
- 800 महिला शिक्षाकर्मियों को पूरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना।
- सभी प्रायोजना वाले गाँवों में बच्चों को पाँच साल की पूरी प्राथमिक शिक्षा अथवा उसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा देना।

1.7 जोखिम और नाजुक मसले

ऐसी नये विचारों वाली योजना में जोखिम भी होती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिन पर ध्यान न दिया जाये तो प्रायोजना असफल हो जायेगी।

1. प्रशिक्षण, बारम्बार प्रबोधन, निरन्तर परिवीक्षण और शिक्षाकर्मी को प्रोत्साहन

गाँव में से चुने हुए स्वयंसेवक की भावना वाले शिक्षाकर्मी को वह काम करना है जिसे पूरा करने में औपचारिक विद्यालय असफल हो चुके हैं। यह नाजुक मामला है और प्रायोजना से जुड़े हुए हर सरकारी और गैर सरकारी संस्था से भारी जिम्मेदारी की मांग करता है कि वे शिक्षाकर्मी को निरन्तर सहायता और प्रोत्साहन देते रहें।

वास्तव में पूरे समय के स्कूल वाली प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों वाली शिक्षा की तुलना में शिक्षाकर्मी योजना में सम्बन्धित संस्थाओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ जो

बात अधिक महत्त्व की है वह शिक्षाकर्मी के मानदेय की नहीं है बल्कि सहयोगी संस्थाओं द्वारा उसकी लगातार सहायता, उसकी समस्याओं के समाधान और उसके प्रोत्साहन की है। सरकारी और पंचायतराज की शिक्षा में अध्यापकों को निर्देश दे कर माना जाता है कि काम हो गया। वैसा इस योजना में करेंगे तो घातक परिणाम आ सकते हैं। इस प्रायोजना के लिए सरकारी मशीनरी का आदेश वाला कार्य-सांचा बदलने की जरूरत होगी। उसके लिए कर्मचारियों में अभिरुचि का बदलाव भी जरूरी होगा। जब 'संचालन समिति' और 'संयुक्त समीक्षा समिति' के सामने विस्तार और बजट के प्रस्ताव रखे जाएं तब यह बात ध्यान में होनी चाहिए।

2. संगठनात्मक विकास

यह प्रायोजना धीरे-धीरे एक ऐसा संगठन बनाना चाहती है जिसमें सरकारी संस्थाएं और निजी संस्थाएं बहुत घनिष्ठता के साथ मिल कर काम करें। इस संगठन में हर एक के काम और जिम्मेदारियों का खुलासा करना कठिन है वैसी कोई रूढ़ व्यवस्था बनानी भी नहीं चाहिए। पहले के अनुभव बताते है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में आपसी सम्बन्ध निभाना कठिन होता है क्योंकि सरकारी संस्थान कुछ बन्धनों, रूढ़ सिद्धान्तों और नियमों से बंध कर चलते हैं और निजी संस्थाएं उनकी विवशताओं को कई बार समझ नहीं पातीं। इस कठिनाई का निराकरण इस तरह से किया जा सकता है कि सरकारी अधिकारियों और निजी संस्थाओं का चयन समझदारी के साथ किया जाए और काम के हर चरण और हर प्रक्रिया में लचीलेपन तथा नवाचार का आग्रह रखा जाए। इस प्रायोजना की सफलता के लिए प्रायोजना-संगठन की हर संस्था से पूरा-पूरा सहयोग लेने की जरूरत होगी।

3. गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान

यह निश्चित है कि गैर सरकारी संस्थाओं की पूरी सहायता के बिना इस प्रायोजना की सफलता संदिग्ध हो जाएगी। और, सरकारी संस्थाओं की कठिनाई यह होती है कि वे उन्हें समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं कर पातीं। पहले के अनुभव इस समस्या की तीखी अनुभूति से जुड़े हुए हैं। अतः इसका समाधान करने पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि वे निजी संस्थाएं शिक्षाकर्मियों का प्रबोधन और प्रोत्साहन करती रह सकें। 'संचालन समिति' और 'संयुक्त अर्धवार्षिक समीक्षा' के समय इस तथ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।

2. क्रियान्विति की योजना

क्रियान्विति की योजना के मुख्य शीर्षक हैं – प्रायोजना के कार्य, प्रायोजना के घटक और बजट। मुख्य कार्य हैं– गाँवों का चयन, प्रायोजनाकर्मी और शिक्षाकर्मियों का चयन और प्रशिक्षण, प्राथमिक विद्यालय और रात्रि केन्द्रों की स्थापना/अधिग्रहण, पाठ्यक्रम का निर्धारण और उसका अनुवर्तन, शिक्षाकर्मियों का निरन्तर प्रबोधन, परिवीक्षण और समर्थन। प्रधान घटक हैं– मानव शक्ति, प्रबन्ध और व्यवस्था तन्त्र, संभार तन्त्र – उपस्कर और उपकरण आदि तथा प्रबोधन और मूल्यांकन की प्रणाली। बजट में छह वर्षों के बजट प्रावधान का सारांश, व्यय-वितरण की प्रक्रिया और रूपरेखा, पूर्व आधारित वित्तीय प्रावधान, आहरण आदि के अधिकारों और प्रतिवेदन की प्रक्रिया वर्णित है।

2.1 प्रायोजना के कार्य

प्रायोजना की क्रियान्विति में लचीलेपन को ध्यान में रखकर मुख्य कार्यकलापों के विवरण बहुत स्थूल रखे गए हैं। प्रायोजना के निदेशक पर यह जिम्मेदारी होगी कि 'संचालन-समिति' की सलाह से वह कार्य-संचालन तथा कार्य-निर्वाह के बारे में स्पष्ट प्रक्रिया और प्रणाली आदि का निर्धारण करे।

1. प्रायोजना के लिए गाँवों का निर्धारण और चयन

जैसा कि प्रायोजना की रूपरेखा में बताया गया है, इस प्रायोजना की जनसंख्या उन गाँवों के बच्चों की है जो कि दूरस्थ हैं, पिछड़े हुए हैं, दुर्गम स्थानों पर हैं और जहाँ अध्यापक असामान्य रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जहाँ नामांकन की स्थिति नगण्य हो गयी है और परिणामत: जहाँ सार्विक शिक्षा में रुकावट आ गयी है।

ऐसे गांवों के निर्धारण और चयन में सामान्यतया निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

जिलाधीश, जिला शिक्षाधिकारी तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्था से सलाह-मशविरा करके प्रायोजना-निदेशक उस या उन विकास खण्डों की पहचान करेगा जहाँ सार्विक शिक्षा की समस्या गहनता के साथ अनुभव की जाती है और जहाँ काम करने के लिए किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता उपलब्ध है। ऐसी सूचना के आधार पर सम्बन्धित विकास अधिकारी से निवेदन किया जाएगा कि वह 15-20 ऐसे गाँवों की सूची तैयार करे जहां कि इस प्रायोजना की ज्यादा उपयोगिता हो सकती है और जहाँ पंचायत समिति प्रायोजना चलाने में मदद कर सकती है।

ऐसे विकास खण्डों और गाँवों की सूची प्रायोजना की 'संचालन समिति' और 'संयुक्त समीक्षा समिति' के सामने रखी जाएगी ताकि आगामी वर्ष की कार्य-योजना और बजट निर्धारण के लिए उन पर विचार करके निर्णय लिए जा सकें।

गाँवों/विकास खण्डों की संख्या और स्थान आदि का निर्णय करते समय 'संचालन समिति' और 'वार्षिक समीक्षा समिति' निम्नलिखित तथ्यों को आधार बनाएगी–

(क) पिछले वर्ष के अनुभव,

(ख) वर्तमान में चल रहे गाँवों/विकास खण्डों में योजना को जारी रखने की संगठन की क्षमता,

(ग) प्रायोजना स्थलों की निकटता अथवा यातायात आदि अन्य सुविधाएं,

(घ) प्रस्तावित स्थानों पर निजी संस्था की उपलब्धता जो कि प्रायोजना की क्रियान्विति में वांछित सहयोग कर सके।

2. शिक्षाकर्मियों की खोज और चयन

प्रायोजना का मुख्य घटक शिक्षाकर्मी है। और, सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण काम गाँव में से सही शिक्षाकर्मियों की खोज और चयन का है। उनकी खोज और चयन के लिए सामान्यतया निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

विकास खण्ड के स्तर पर एक दल का गठन किया जाएगा। उसमें विकास अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी, सम्बन्धित गाँवों के सरपंच, स्थानीय निजी संगठन का प्रतिनिधि अथवा महिला विकास कार्यक्रम का प्रतिनिधि और इनके अलावा ग्राम सेविका अथवा कोई महिला समाज सेविका जो कि विकास खण्ड में सुपरिचित हो, सम्मिलित होंगे। महिला सदस्य होना इसलिए जरूरी है कि गाँवों में सम्पर्क करके महिला शिक्षाकर्मी की खोज सम्भव हो सके।

यह दल सम्बन्धित गाँवों में जाकर वहाँ उपलब्ध तथा रुचिशील शिक्षाकर्मियों तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले लोगों का पता लगायेगा। किन्तु शिक्षाकर्मियों का चयन करते समय उनकी शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा गाँव का उनमें भरोसा, उनकी निष्ठा और उनके व्यक्तित्व के गुणों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षाकर्मियों का चयन करते समय महिला अभ्यर्थियों का समावेश अवश्य किया जायेगा।

चूंकि शिक्षाकर्मियों का चयन बहुत नाजुक और जिम्मेदारी का काम है, अतः 'संधान' को चाहिए कि वह विकास अधिकारी को तथा चयन समिति को पूरी सहायता करे।

3. प्रायोजनाकर्मियों का प्रशिक्षण

जैसा कि बिन्दु 1.6 में बताया गया है इस प्रायोजना में प्रायोजनाकर्मियों पर संवेदनशीलता, सजगता, अभिरुचि और विवेकशीलता की भारी जिम्मेदारी होती है ताकि वे शिक्षाकर्मियों को निरन्तर प्रबोधन और मार्गदर्शन करते रहें। इसलिए प्रायोजना में सेवाधीन प्रशिक्षण भी अति- आवश्यक काम होगा। प्रायोजना के हर स्तर पर, हर तरह के कर्मचारी के लिए निरन्तर प्रबोधन की व्यवस्था करनी होगी।

प्रायोजनाकर्मियों के सेवाधीन प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी 'राज्य शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्थान' की होगी। इस कार्य के सम्पादन में वह 'संधान' तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण का स्वरूप इस तरह का होगा :

(क) राज्य स्तर के, जिला स्तर के और विकास खण्ड स्तर के हर तरह के सम्बन्धित व्यक्ति के लिए वार्षिक अधिस्थापन या अभिनवन प्रशिक्षण। यह काम 3-4 दिनों की कार्य- गोष्ठी के रूप में होगा जिसमें अब तक के अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षाकर्मी योजना की धारणा स्पष्ट की जायेगी और प्राप्त अनुभवों की समीक्षा कराई जायेगी।

(ख) दक्ष प्रशिक्षकों की तैयारी : परस्पर पूरक, क्षमतावान और अनुभवी व्यक्तियों का चयन दक्ष प्रशिक्षकों के रूप में किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े रहेंगे और विकास खण्ड में प्रशिक्षण तथा निरन्तर प्रबोधन का काम करेंगे। ऐसे दक्ष व्यक्तियों के अलावा ग्रामीण विकास, महिला विकास, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि से जुड़े विशिष्ट प्रशिक्षक भी दक्ष व्यक्तियों के रूप में लिए जायेंगे। ऐसे दक्ष व्यक्तियों के प्रशिक्षण की अवधि, कार्यक्रम के निर्धारण तथा संचालन का दायित्व 'राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान' तथा 'संधान' का होगा।

4. शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण

प्रायोजना की पूरी व्यूह-रचना में शिक्षाकर्मी का प्रशिक्षण केन्द्रीय महत्त्व रखता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापक के स्थान पर वही काम करना चाहता है जिसे वह अध्यापक नहीं कर पाया है। वह अध्यापक की-सी योग्यता नहीं रखता। यह विशेषता जरूर रखता है कि वह स्वेच्छा से शिक्षण कार्य करने को तैयार है और वहाँ का निवासी है और गाँव के लोगों का उसमें विश्वास है। अतः शिक्षाकर्मी के प्रशिक्षण का प्रयोजन चतुर्मुखी होगा :

- एक तो उनकी शैक्षिक योग्यता में इतनी बढ़ोतरी करना कि वे प्राथमिक विद्यालय/रात्रि केन्द्र का संचालन कर सकने की क्षमता प्राप्त कर लें।
- तब उनकी क्षमता में निरन्तर प्रशिक्षण और प्रबोधन द्वारा वृद्धि करना।
- सुव्यवस्थित रूप से उनमें ऐसी आत्मनिर्भरता का विकास करना कि वे लोगों को प्रेरणा देने की भूमिका निभा सकें।
- उन्हें निरन्तर समर्थन और प्रबोधन देते रहना और उनके अनुभवों से आगे सुधार करते रहना।

शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण विकास खण्ड के स्तर पर 'संधान' द्वारा, जिला/विकास खण्ड पर स्थित स्वैच्छिक संस्था के सहयोग से, आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षक वे दक्ष व्यक्ति होंगे जो एतदर्थ चुने गए है। पहले 30 दिन का सघन प्रशिक्षण होगा और बाद में हर वर्ष 10-10 दिन के दो अभिनवन प्रशिक्षण होंगे। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण सामग्री के विकास की जिम्मेदारी 'राज्य शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान'/'संधान' की होगी।

सिलोरा विकास खण्ड के अनुभव बताते हैं कि शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण में शिक्षण विधि और तकनीकें प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के

अनुसार ही होनी चाहिए। पहले से निर्धारित सैद्धान्तिक विवेचन के स्थान पर विषय-वस्तु और शिक्षण तकनीकों पर 'संवाद' और 'क्रियात्मक निर्देशन' की पद्धति अधिक उपयोगी होती है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रशिक्षण विधाओं से शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण इस मायने में भिन्न होता है कि यहाँ रूढ़ व्याख्यानों और सिद्धान्तों की विवेचना नहीं होती बल्कि सिखाई जाने वाली सामग्री को स्थानीय संदर्भों में प्रस्तुत करने, उसे वातावरण के अनुसार ढालने और बच्चों के लिए सुबोध बनाने की तकनालॉजी सिखाई जाती है। इसके लिए दक्ष प्रशिक्षक, राज्य शिक्षानुसन्धान तथा संधान के कार्यकर्त्ताओं पर भारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वे शिक्षाकर्मियों के अुनभवों, प्रश्नों और समस्याओं का उचित समाधान कर सकें और जरूरत हो तो और अधिक संदर्भ्य व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराएं।

शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण का प्रारूप परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

5. महिला शिक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

सार्विक शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या छात्राओं के नामांकन की है। लड़कियों के नामांकन में वृद्धि के लिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, उनमें शिक्षा के प्रति सजगता पैदा करने के लिए जितनी ज्यादा संख्या में महिला शिक्षाकर्मियों को तैयार किया जा सके, उतना ही सार्विक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में– खास करके दूरस्थ और दुर्गम गाँवों में साक्षर महिलाएं तक नहीं मिलतीं, शिक्षाकर्मी मिलना तो दूर की बात है। वहाँ साक्षरता दर इतनी कम है कि अभी से यदि कोई उपचारात्मक उपाय न किया जाए तो महिला शिक्षा की समस्या सदा के लिए बनी रह जाएगी। इसलिए यह प्रायोजना महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करेगी।

छह वर्ष की प्रायोजना-अवधि में ऐसे 20 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। शुरू में दो केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और उपयुक्त निजी संगठनों की उपलब्धता को देखते हुए क्रमशः उनकी संख्या 20 तक बढ़ाई जा सकेगी। हर केन्द्र में महिला प्रशिक्षार्थियों की संख्या 30 होगी। महिला

प्रशिक्षार्थियों का चयन उन गाँवों से किया जायेगा जहाँ कि शिक्षाकर्मी योजना चलेगी। इन केन्द्रों पर शिक्षा पाने के लिए महिलाओं को किसी पूर्व शिक्षा योग्यता की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल साक्षर होने की जरूरत होगी और उससे भी बढ़कर उनमें शिक्षाकर्मी बनने और काम करने का उत्साह जरूरी होगा।

ऐसी महिलाओं को कक्षा आठ के समकक्ष शिक्षा और शिक्षाकर्मी के योग्य प्रशिक्षण देने का काम इन केन्द्रों पर होगा। उनके प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष की होगी जिसमें हर तीसरे महीने के बाद एक महीने का अन्तराल रहेगा। प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को निशुल्क आवास तथा भोजन के अलावा प्रतिमाह 60 रुपये का भत्ता दिया जायेगा।

यह भी हो सकता है कि कुछ महिलाएं अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर आएं, इसलिए हर ऐसे केन्द्र के साथ पालनाघर की व्यवस्था होगी। केन्द्रों का संचालन उन स्वैच्छिक संस्थाओं में होगा जो कि उन्हें चलाने की जिम्मेदारी लेंगी।

महिला प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार के पाठ्यक्रम में 'संस्थान'/'संधान' द्वारा कुछ परिवर्तन/परिवर्धन किए जा सकेंगे। प्रशिक्षण के संचालन में 'जिला शिक्षानुसन्धान और प्रशिक्षण संस्थान' आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे।

केन्द्र में चार महिला प्रशिक्षक रहेंगी जो भाषा, विज्ञान, गणित, कला, संगीत तथा स्वास्थ्य शिक्षा देने का काम करेंगी। उनमें से एक छात्रावास अधीक्षक होगी। इन प्रशिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग के नियमित अध्यापकों में से एक विशेष चयन समिति द्वारा की जाएगी। और, उन्हें 'राज्य शिक्षा संस्थान'/'संधान' द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

6. रात्रि केन्द्रों की स्थापना

हर प्रायोजना वाले गाँव में दो रात्रि केन्द्र चलाए जाएंगे। वे उन बच्चों के लिए होंगे जो कारणवश दिन के स्कूल में नहीं जा सकते। गाँव

में कार्यरत दोनों शिक्षाकर्मी एक-एक केन्द्र का संचालन करेंगे। वे चाहें तो दोनों मिलकर भी वैसा कर सकेंगे। रात्रि केन्द्र बच्चों की सुविधानुसार दो घंटे के लिए चलेंगे। उनका निश्चित समय शिक्षाकर्मियों द्वारा बच्चों के अभिभावकों से मिल कर तय किया जाएगा। हर केन्द्र 25 बच्चों के लिए होगा।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रात्रि केन्द्रों की स्थापना अभिभावकों की सलाह से होगी। खास करके उन छात्राओं के लिए जो कि स्कूल में नहीं जातीं या नहीं जाना चाहतीं। गाँव में एक केन्द्र तो स्कूल में चल सकता है और दूसरे को गाँव वालों द्वारा बताये गये सुविधाजनक स्थान पर चलाया जा सकता है। यदि गाँव ढाणियों में फैला हुआ हो और किसी इलाके में रात्रि केन्द्र के लायक पर्याप्त संख्या हो तो केन्द्र को किसी भागल/ढाणी में भी चलाया जा सकता है। यानी, केन्द्र के स्थान के बारे में कोई पूर्व मान्यता या धारणा नहीं होनी चाहिये। उसके स्थान का निश्चय शिक्षाकर्मी तथा पंचायत मिलकर कर सकते हैं। किन्तु प्रारम्भिक सर्वेक्षण का काम शिक्षाकर्मी द्वारा किया जायेगा।

हर रात्रि केन्द्र को आवश्यक साधन – दरी, लालटेन, घासलेट, शिक्षण सामग्री – उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए बजट में अनावर्तक व्यय का प्रावधान किया गया है। यह सामग्री विकास अधिकारी द्वारा क्रय की जायेगी और शिक्षा प्रसार अधिकारी द्वारा हर केन्द्र को पहुंचाई जायेगी। उसी तरह से केन्द्र के लिए आवर्तक धनराशि का – पाठ्य-पुस्तकें, चाक आदि के लिए भी – प्रावधान किया गया है।

अतः शिक्षाकर्मी को यह निश्चित करना है कि गाँव का हर बच्चा जो कि 6-14 आयु-वर्ग का है या तो दिन के स्कूल में शिक्षा पाएगा या फिर रात्रि केन्द्र में शिक्षा प्राप्त करेगा।

रात्रि केन्द्रों के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो कि राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वीकृत और प्रचलित है। तथापि यदि 'राज्य शिक्षा संस्थान' या 'संधान' चाहे तो उसमें सुधार करके नया प्रयोग कर

सकते हैं। रात्रि केन्द्र आम तौर पर दो वर्षों के सघन पाठ्यक्रम चलाएंगे और छात्रों को पाँचवीं कक्षा के स्तर की शैक्षिक योग्यता प्रदान करेंगे। किन्तु यदि कोई छात्र दो वर्ष में वैसा नहीं कर पाता तो उसके लिए अवधि अधिक हो सकेगी।

इस प्रायोजना के अन्तर्गत यदि कोई छात्र दिन की स्कूल से रात्रि केन्द्र में अथवा विलोम गति से परिवर्तन करना चाहे तो उसे वैसा करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

7. दिन के स्कूलों की स्थापना/अधिग्रहण

इस प्रायोजना के अन्तर्गत दिन की स्कूलें वे ही होंगी जो कि पंचायत समिति के अधीन गाँवों में पहले से चल रही हैं। वे सब स्कूलें सरकारी निधि से और पंचायत समितियों के माध्यम से चल रही हैं। उनमें एक अध्यापक होता है और कक्षा एक से पाँच तक की पढ़ाई होती है।

उन स्कूलों को अब, इस प्रायोजना के अन्तर्गत दिवस-केन्द्र के रूप में बदल दिया जायेगा। वहां दो शिक्षाकर्मी रखे जाएंगे और वहाँ नियुक्त अध्यापक को वहाँ से हटा कर अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित किया जायेगा। पहले का वह प्राथमिक विद्यालय अब इस प्रायोजना के अन्तर्गत दिवस केन्द्र के रूप में एक पहर तक या 3 घण्टे तक चलेगा।

पंचायत समितियों के अधीन चल रही बहुत-सी स्कूलें साधन-विहीन हैं। शिक्षाकर्मी केन्द्रों को – भारत सरकार के श्यामपट्ट अभियान के तहत – साधन, उपकरण और शिक्षण-सामग्री प्राप्त होगी। शिक्षाकर्मी प्रायोजना के अन्तर्गत इन केन्द्रों को श्यामपट्ट, मेज, कुर्सी, दरी, शिक्षण-सामग्री आदि के लिए 1000 रुपये प्रति केन्द्र के हिसाब से आवर्तक राशि का प्रावधान होगा। उसके अलावा दैनिक उपयोग की सामग्री, जल-व्यवस्था, साफ-सफाई आदि के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी होगा।

8. पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-सामग्री का विकास

शिक्षाकर्मी योजना के केन्द्रों में पढ़ने वाले छात्र या तो वे होंगे जो प्राथमिक विद्यालय बीच में ही छोड़ गये हैं या वे होंगे जो कभी

स्कूल गये ही नहीं हैं। उन्हें उनकी आवश्यकता और विकास के मुताबिक विशेष ध्यान और विधियों की जरूरत होगी। अधिकतर तो छात्राएं होंगी और उनको और अधिक व्यावहारिक, कार्यपरक तथा उपयोगी पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा यह प्रावधान भी है कि प्रायोजना के दिवस या रात्रि केन्द्र में पाँचवीं तक पढ़ चुके बच्चों को आगे छठी कक्षा में प्रवेश मिल सकता है।

इन सब आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन दिवस केन्द्रों के लिए उपयुक्त, सघन, कार्यकारी और समयानुकूल पाठ्यक्रम का विधान किया जाए। इसके लिए 'राज्य शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान' एक सक्षम घटक है। वह कई तरह की यूनीसेफ प्रायोजनाओं पर काम कर रहा है और उसके पास विभिन्न समस्याओं के लिए पाठ्यक्रमों और पाठ्यसामग्री के नमूने उपलब्ध हैं। वह संस्थान यह भी देखेगा कि अब तक इस प्रायोजना के अन्तर्गत जो काम किया गया है उसका उपयोग किस तरह से नये केन्द्रों के लिए भी किया जा सकता है। आवश्यकता हो तो वह नये नमूने भी तैयार करेगा।

इन केन्द्रों के लिए 'राज्य शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान' – पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-सामग्री के विकास और प्रकाशन के लिए मुख्य घटक होगा। उसकी भूमिका शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण, अभिनवन और मूल्यांकन में भी रहेगी।

राज्य में पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री के प्रकाशन एवं वितरण के लिए एक अलग मण्डल है – 'राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर'। वह कक्षा आठ तक की शिक्षण-सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रायोजना केन्द्रों के लिए जब 'राज्य शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान' पाठ्य सामग्री का निर्माण कर ले तब यह मंडल उनका प्रकाशन तथा वितरण अपने डिपो और पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से करेगा। प्रायोजना खण्डों के शिक्षा प्रसार अधिकारी/प्रायोजना प्रभारी का यह दायित्व होगा

कि वह बाजार से सीधे ही उनकी खरीद करेगा और उन्हें प्रायोजना केन्द्रों तक पहुंचायेगा। 'राज्य प्रशिक्षण संस्थान' तथा 'पाठ्यपुस्तक मण्डल' की भूमिका के साथ यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि शिक्षाकर्मी योजना के साथ अनेक निजी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थान और नवाचार तथा अनुसन्धान में रुचि रखने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं का योगदान रहेगा। अतः पाठ्यक्रम के विकास और सामग्री के निर्माण में 'राज्य प्रशिक्षण संस्थान', 'संधान' आदि के अलावा जिला-स्तरीय स्वैच्छिक संस्थाओं के व्यवस्थाबद्ध योगदान को भी – संचालन समिति के निर्देशों के अनुसार – प्रोत्साहित करना होगा। इनके अलावा राजस्थान के बाहर की संस्थाएं – 'राष्ट्रीय शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्' 'राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रबन्ध संस्थान' व अन्य – भी इस प्रायोजना के साथ किसी-न-किसी रूप में सम्बद्ध होंगी।

9. अनुवर्तन, समर्थन तथा परिवीक्षण

जैसा कि बार-बार कहा गया है कि प्रायोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रायोजना की आन्तरिक रचना में शिक्षाकर्मी की क्षमता में वृद्धि, उसके समर्थन और उसके निरन्तर प्रोत्साहन के लिए कैसी प्रक्रिया विकसित की जाती है। वास्तव में यदि शिक्षाकर्मी योजना दूरस्थ और दुर्गम समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सफल हो जाती है तो वह न सिर्फ सार्विक शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य पूरा करेगी बल्कि प्राथमिक शिक्षा के पुनर्जीवन में भी एक नया आयाम जोड़ेगी। अतः शिक्षाकर्मी के निरन्तर समर्थन, उसके प्रबोधन और उसकी क्षमता में वृद्धि के उपायों के विकास की अपने आप में एक लक्ष्य बनना चाहिये और उनका प्रयोजन प्राथमिक शिक्षा को सुसंगत और आवश्यकता-आधारित बनाने का होना चाहिये।

बहुत कुछ तो प्रायोजना-प्रबन्ध के परोक्ष प्रभावों पर निर्भर करेगा और कुछ इस कुशलता पर कि कितनी संख्या में स्वैच्छिक संस्थाओं को इस प्रायोजना में भागीदार बनाया जा सकता है। किन्तु इसके अलावा अन्य बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। प्रायोजना-प्रबन्ध को यह भी

देखना होगा कि शिक्षाकर्मी और उसकी समर्थक संस्थाओं के बीच निरन्तर सम्पर्क के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्रियान्विति के अन्तरंग अंगों के रूप में निम्नलिखित प्रवृत्तियों की भी लागू करना होगा :–

(क) सहकारी मूल्यांकन तथा प्रबोधन :

ऊपर बताए गए बाहरी संस्थाओं के सहयोग की प्रक्रिया का विकास जयपुर के 'विकास अध्ययन संस्थान' ने किया है। उनकी प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है। 'संधान' के तत्वावधान में और प्रायोजना निदेशक की सलाह से इस प्रायोजना में अपनी प्रक्रिया लागू करने के काम 'विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर' को सौंपा जाएगा। इस प्रवृत्ति के दो प्रयोजन होंगे – एक तो यह कि इससे गाँव के स्तर पर समर्थन तथा सुधार का तन्त्र सक्रिय हो सकेगा। इसमें अन्य बातों के साथ शिक्षाकर्मियों के चयन और उनकी कार्यप्रणाली की कमियां दूर करना भी शामिल है। दूसरे, इससे अनुभवों के निरन्तर उपयोग की प्रणाली बन सकेगी जो कि अगले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगी हो सकेगी।

(ख) जिला/विकास खण्ड स्तरीय केन्द्र की स्थापना :

जैसे-जैसे प्रायोजना का विस्तार होगा, वैसे-वैसे केन्द्रीयकरण कम करने के लिए, यह प्रावधान है कि प्रायोजना वाले जिले/खण्ड पर एक-एक सन्दर्भ इकाई स्थापित की जाये। ऐसी इकाई या तो किसी स्थानीय संस्था का योगदान होने पर उसके अधीन हो सकती है या फिर संधान को क्षेत्रीय इकाई के रूप में हो सकती है। वस्तुतः आरम्भ के दो वर्षों के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त और इच्छुक स्वैच्छिक संस्था की जिला इकाई को विकास खण्ड की योजना के लिए सलाहकार तथा समर्थक संस्था के रूप में स्वीकार करने की नीति है। जब सन्दर्भ इकाइयों का गठन होगा

तब प्रायोजना के लिए उपयुक्त सन्दर्भ व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराने और सहयोगी निजी संस्थाओं में परस्पर समन्वय स्थापित करने का काम उनका होगा। चूंकि शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण का दायित्व भी उन पर होगा इसलिए गांवों में से शिक्षाकर्मियों का चयन करने में भी उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शिक्षाकर्मियों की निरन्तर देखभाल, समर्थन और उनके साथ सहकार करने का काम भी उनका होगा।

(ग) विकास खण्ड कर्मियों द्वारा क्षेत्र-निरीक्षण :

हर प्रायोजना वाले विकास खण्ड में एक शिक्षा-प्रसार अधिकारी रखने का प्रावधान है। उसके कार्यभार में गांवों के चयन के साथ-साथ शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण, समर्थन और प्रबोधन के दायित्व शामिल होंगे। अतः जरूरी है कि उसके लिए नियमित यात्रा और निरीक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहें। हर प्रायोजनाधीन गाँव में कम-से-कम हर माह उसे जाना चाहिए। इस काम के लिए प्रायोजना की ओर से उसे एक मोटर साइकिल देने का प्रावधान है। शिक्षा प्रसार अधिकारी को प्रशिक्षित करने का काम 'राज्य प्रशिक्षण संस्थान'/'संधान' का होगा। वे उसे इस तरह से तैयार करें कि वह परम्परित निरीक्षक न रहे बल्कि शिक्षाकर्मी का साथी, संगी और सुविधादाता बन कर काम कर सके।

(घ) समाचार पत्रिका :

शिक्षाकर्मियों को प्रायोजना की गतिविधियों की सूचना देने के लिए तथा राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के समाचार संकलित करने के लिए प्रायोजना एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करेगी। पत्रिका का एक प्रयोजन शिक्षाकर्मियों के शैक्षिक उन्नयन का भी होगा। हर अंक में कुछ पत्राचार

पाठ होंगे जो विभिन्न विषयों के अनुदेशन और शिक्षण से सम्बन्धित होंगे। इनके अलावा अकादमिक और प्रशासनिक सूचनाएं भी होंगी। समाचार-पत्रिका के सम्पादन और प्रकाशन का जिम्मा 'राज्य प्रशिक्षण संस्थान' का होगा। पत्रिका के लिए उन्हें सूचनाएं 'निदेशक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा', 'संधान', 'विकास अधिकारी' आदि से प्राप्त होंगी। शिक्षाकर्मियों में पत्रिका का वितरण विकास अधिकारी के माध्यम से होगा।

(ङ) गाँवों का क्रियान्विति-पूर्व अध्ययन :

अपने गाँव में कार्य आरम्भ करने से पहले शिक्षाकर्मी का पहला काम होगा – गाँव की वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करना। इस काम में उसे शिक्षा प्रसार अधिकारी का मार्गदर्शन मिलेगा। इस अध्ययन का प्रयोजन होगा : गाँव की वर्तमान आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल प्राथमिक शिक्षा की भूमिका का पता लगाना और विशिष्ट कामों का निश्चय करना। जहाँ तक सम्भव हो, गाँव की परिस्थिति के अनुसार समस्याओं को उजागर करना और किस तरह की जानकारी पर ज्यादा बल देना है यह तय करना। शिक्षाकर्मी योजना को गाँव के आदमी तक पहुंचाना और उसे जन-व्यापी बनाना। शिक्षा के मामले में आधारभूत बातों की जानकारी प्रायोजना-प्रबन्ध को तथा गाँव वालों को उपलब्ध कराना। गाँव की आन्तरिक परिस्थितियों की ठोस जानकारी प्राप्त करना। शिक्षाकर्मी के कामों के सन्दर्भ में गाँव वालों को उनकी जिम्मेदारी की जानकारी कराना।

इस प्रकार के अध्ययन के लिए उपकरण और प्रणाली निर्धारित करने का काम 'राज्य प्रशिक्षण संस्थान' और 'संधान' का होगा। इसे दक्ष प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सम्मिलित करना चाहिये।

2.2 प्रायोजना के घटक

1. मानव संसाधन

प्रायोजना की एक आवश्यकता यह है कि हर स्तर पर प्रशासनिक तन्त्र और व्यावसायिक क्षमता को मजबूत किया जाए। किन्तु कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में वृद्धि करने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। सावधानी यह रखनी होगी कि नवाचारों के प्रति सजग और गतिशील व्यक्तियों का चयन किया जाए जो प्रायोजना के प्रति सद्भावना रख सकें और उसे उद्देश्यों की ओर अग्रसर कर सकें। प्रायोजनाकर्मी का चयन एक 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' द्वारा किया जायेगा और इस बात पर जोर दिया जायेगा कि विभागीय केडर में उसकी पदोन्नति का अवसर आ जाए तो उसे वही लाभ प्रायोजना में मिल सकेगा।

(क) निदेशालय :

इस प्रायोजना के संचालन का दायित्व 'प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार' का है। वहाँ अनौपचारिक शिक्षा प्रभाग में एक संयुक्त निदेशक तथा पाँच लिपिक कर्मचारी हैं। यह तन्त्र अपने वर्तमान कामों के लिए अपर्याप्त है। इस नवाचारी प्रायोजना के लिए आयोजना, क्रियान्विति, नियन्त्रण और समन्वय के लिए विशेष कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होगी।

अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय में इस प्रायोजना के लिए एक पृथक भाग स्थापित किया जायेगा। निदेशक अनौपचारिक शिक्षा उस प्रभाग के नीति-निर्देशक तथा परिवीक्षक होंगे। उनके अधीन एक प्रायोजना निदेशक, एक सहायक/उप निदेशक, एक प्रायोजना अधिकारी, छह लिपिक कर्मचारी, एक ड्राइवर और दो सहायक कर्मचारी होंगे। अनुमान है कि इस प्रभाग पर पहले वर्ष में 175000 अनावर्तक व्यय होगा और प्रति वर्ष 415000 आवर्तक व्यय होगा।

(ख) राज्य शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान :

राजस्थान में यह संस्थान प्रशिक्षण और अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्था है। इसके पास सिलोरा विकास खण्ड के प्रयोग का अनुभव है और वहां के विशेषज्ञों ने उस प्रयोग में लम्बे समय तक सहकारी भूमिका निभाई है। किन्तु जैसे-जैसे शिक्षाकर्मी योजना का विस्तार होगा, इस संस्था के पास कार्यभार बढ़ेगा। अतः वहाँ इस प्रायोजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग इकाई के गठन की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव है कि इस इकाई में एक संयुक्त/उप निदेशक, दो उप/सहायक निदेशक, छह लिपिक कर्मचारी और दो सहायकों का प्रावधान किया जाए। इस इकाई का गठन 'संचालन समिति' की स्वीकृति पर हो सकेगा। इस पर पहले वर्ष में 50000 रुपयों का अनावर्तक व्यय तथा हर वर्ष 541000 रुपयों का आवर्तक व्यय होगा।

(ग) महिलाओं के लिए शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केन्द्र :

वर्तमान में दूर-दराज के गाँवों के लिए स्थानीय महिला शिक्षाकर्मी तैयार करने के लिए कोई संस्था नहीं है। ऐसे जरूरतमन्द गाँवों में पाँचवीं पास महिलाओं का मिलना भी मुश्किल होगा। शैक्षिक योग्यता की चिन्ता किए बिना स्वयंसेवी महिलाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें महिला शिक्षाकर्मी केन्द्र में शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाएगा। उनके लिए तीन वर्ष का पाठ्यक्रम होगा और हर केन्द्र पर चार महिला प्रशिक्षक होंगी, जिनके साथ स्कूल और छात्रावास के लिए आवश्यक सहायक कर्मचारी भी होंगे। अनुमान है कि इस स्कूल पर पहले वर्ष में 45000 रु. का अनावर्तक व्यय होगा और प्रतिवर्ष 290000 रु. प्रति स्कूल आवर्तक व्यय होगा।

(घ) विकास खण्ड :

विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण शिक्षा प्रसार अधिकारियों द्वारा किया जाता है। एक प्रसार अधिकारी के जिम्मे साधारणतया 50 प्राथमिक स्कूलें होती हैं। यह स्वयं इतना बड़ा काम है कि वह अधिकारी सब स्कूलों में साल में एक बार भी नहीं जा पाता। तब दूर बसे हुए और दुर्गम जगहों पर स्थित शिक्षाकर्मी केन्द्रों के लिए उसकी उपयोगिता की बात सोचना सम्भव नहीं होगा। शिक्षाकर्मी केन्द्र को तो निरन्तर साथ चाहिये, प्रबोधन चाहिये और प्रसार अधिकारी के साथ अनुभवों का आदान-प्रदान चाहिये। अतः हर पंचायत समिति खण्ड पर एक अतिरिक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी रखने का प्रावधान किया गया है। इस पर 18000 रु. का अनावर्तक तथा 41000 रु. का वार्षिक व्यय जाएगा

(ङ.) राज्य स्तरीय गैर सरकारी अभिकरण :

संधान : प्रायोजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षाकर्मी के रूप में चुना जाएगा चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कम हो। उसे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने लायक योग्यता और प्रशिक्षण देने की सघन व्यवस्था करनी होगी। यह जिम्मेदारी संधान की होगी संधान एक राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इस संगठन के पास शिक्षाकर्मी परियोजना के लायक कोई कार्मिक वर्ग नहीं है। एक समन्वयक, चार विषय विशेषज्ञ——भाषा, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान में, चार सहकारी कर्मचारी और दो सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इनमें से आधे कर्मचारी प्रथम वर्ष में और बाकी बाद में लिये जा सकेंगे। इस हेतु प्रथम वर्ष में

380,000 रु., द्वितीय वर्ष से 304,000 रु. अतिरिक्त व्यय होगा। अनावर्तक राशि के लिए पहले वर्ष में 200,000 रु. की आवश्यकता होगी।

विकास अध्ययन संस्थान : राज्य स्तर पर सामाजिक विकास और सामाजिक संस्थाओं के मूल्यांकन में व्यस्त यह एक गैर सरकारी संगठन है। इस संस्था को योजना में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिये कुछ सहायक कर्मचारी देने की आवश्यकता होगी। एक प्रयोजना समन्वयक और दो सहायक कर्मचारी——एक पहले वर्ष तथा दूसरा बाद में—देने के लिए 29,000 रु. अनावर्तक व्यय के तथा पहले वर्ष में 161,000 रु. आवर्तक और उसके बाद 210,000 रु. प्रतिवर्ष का व्यय होगा।

समाज सेवा और अनुसंधान केंद्र : शिक्षाकर्मी योजना का जन्म इस संस्था के तत्वाधान में तिलोनिया, जिला अजमेर में हुआ था। इस संस्था ने इस प्रायोजना के कई मामलों में सहयोग करने की इच्छा की है——प्रशिक्षण, जिला/विकास खंड स्तरीय गैर सरकारी संस्थाओं को सक्रिय बनाने का काम, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए गोष्ठियों और कार्यशाला आयोजित करने का काम आदि। इसके लिए अलग से वितिय प्रावधान नहीं है। यह माना गया है कि इस संस्था का सहयोग लेते समय आयोजिक संस्था या संस्थान अपेक्षित व्यय वहन करेगा।

(च) **जिला/विकास खंड स्तरीय गैर सरकार अभिकरण :** शिक्षाकर्मी योजना के साथ जिला स्तर या विकास खण्ड स्तर की निजी संस्थाएं भी सहयोग करेंगी। वे प्रबोधन, जानकारी, अनुभव-संकलन, मूल्यांकन, प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में शिक्षाकर्मियों से निरन्तर सम्पर्क रखेंगी। उन्हें इस काम के

लिए एक विशेषज्ञ और एक सहायक कर्मचारी दिया जायेगा। अनुमान है कि हर जिले के लिए इसमें 76000 रु. वार्षिक की आवश्यकता रहेगी। जब विकास खण्डों की संख्या बढ़ जायेगी तब अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जायेगा। ऐसे हर संगठन के कामों की सूची परिशिष्ट-3 में दी गयी है। आवश्यक हो और लचीलापन सम्भव हो तो विकास खण्ड के स्तर पर भी – न्यूनतर व्यय साधनों से – ऐसी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्णय 'अर्धवार्षिक संयुक्त समीक्षा बैठकों' में लिया जायेगा।

2. संगठन और प्रबन्ध

(क) वर्तमान संगठन :

राजस्थान में शिक्षा का प्रबन्ध शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा होता है। 'निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा' मुख्य अधिकारी है और उसके अधीन एक 'निदेशक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा' है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी होता है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करता है। विकास खण्ड के स्तर पर विकास अधिकारी नाना तरह के कार्यभार वहन करता है। उनमें शिक्षा के लिए शिक्षा प्रसार अधिकारी होता है जो प्राथमिक विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का प्रभारी होता है। पूरा शैक्षिक संगठन इस तरह से है :–

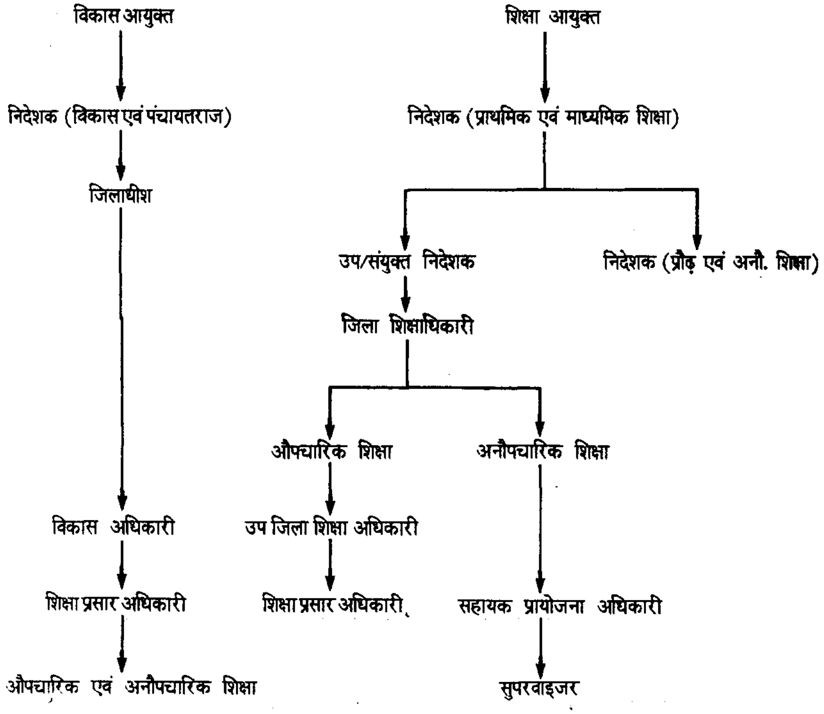

(ख) प्रस्तावित संगठन :

वर्तमान में अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय के भीतर और बाहर प्रबन्ध व्यवस्था इस प्रायोजना की चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है । जैसा कि बिन्दु 1.3 में बताया गया है। इस प्रायोजना में लचीलेपन की जरूरत ने एक पेचीदा व्यवस्था को जन्म दिया है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कई अभिकरण आपस में जुड़ते हैं। वैसा संगठनात्मक ढांचा नीचे प्रस्तावित है। उसे कुछ समय तक परख कर देखा जायेगा और आगामी संयुक्त समीक्षा के समय उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

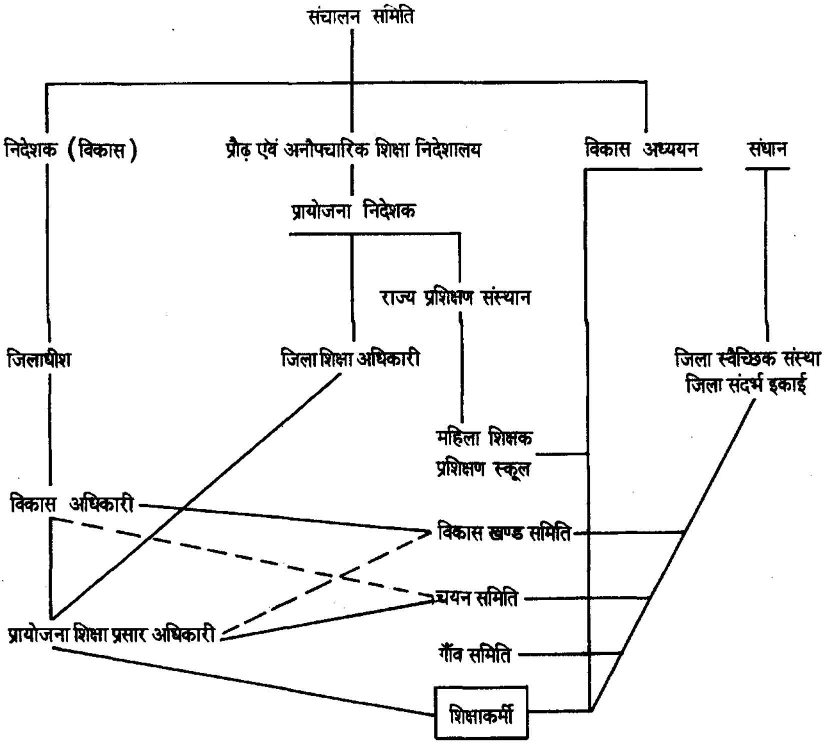

इस प्रायोजना में आधारभूत सिद्धान्त मौजूदा शैक्षिक संगठन की सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करने का है। यह निश्चित करने के लिए कि नई प्रथाएं और प्रक्रियाएं बनें और कार्य में आएं, वर्तमान प्रबन्ध को सलाहकार समितियों/कार्यकारिणियों द्वारा प्रबोधित और अनुप्रेरित किया जाएगा। इन समितियों में गैर सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं के वे प्रतिनिधि होंगे जो कि योजना के सहयोगी और समर्थक होंगे।

ग्राम शिक्षा-समिति : गाँव में एक ग्राम शिक्षा-समिति का गठन होगा। वह शिक्षाकर्मी की अपना काम सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। अभिभावकों से सम्पर्क, बच्चों के नामांकन में वृद्धि, केन्द्रों के

काम की जाँच-परख और सहायता, भौतिक साधन-सामग्री की सहायता आदि कार्य यह समिति करेगी। इस समिति का गठन इस तरह से होगा :–

गाँव का सरपंच	अध्यक्ष
वार्ड पंच	2
महिला समाज सेविका	
शिक्षाकर्मी	2

शिक्षाकर्मियों के लिए चयन समिति : इस प्रायोजना में शिक्षाकर्मियों का चयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम है। उनके चयन के लिए एक समिति होगी जो गाँव-गाँव जाएगी, लोगों से सम्पर्क करेगी, इच्छुक शिक्षाकर्मियों से साक्षात्कार करेगी और तब उपयुक्त का चयन करेगी। उस समिति में :–

विकास अधिकारी,

शिक्षा प्रसार अधिकारी,

गाँव का सरपंच,

जिला या विकास खण्ड की सन्दर्भ इकाई का प्रतिनिधि तथा महिला विकासकर्मी अथवा समाज सेविका सदस्य होंगे।

विकास खण्ड स्तरीय समिति : विकास खण्ड के स्तर पर एक समीक्षा समिति होगी। यह हर गाँव में प्रायोजना की प्रगति पर नजर रखेगी और सफल क्रियान्विति के लिए प्रयत्न करेगी। हर तिमाही इसकी बैठक होगी। इसमें सदस्य होंगे :–

प्रधान,

विकास अधिकारी,

प्रायोजना प्रसार अधिकारी,

गैर सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि,

सरपंच (2)

महिला विकास कर्मी या समाज सेविका (1)

संचालन समिति : प्रायोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए, विभिन्न विभागों, संस्थानों को निर्देश जारी करने के लिए, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का निराकरण करने के लिए 'संचालन समिति' की बैठक हर तिमाही होगी। आवश्यकता होने पर अधिक बार भी बैठकें हो सकती हैं। यह समिति प्रायोजना की सर्वोच्च समिति होगी और इसके निर्णय सरकारी निर्णय और आदेश की तरह प्रभावी होंगे। इस समिति में सदस्य आदि इस तरह से होंगे :–

शिक्षा आयुक्त – अध्यक्ष

निदेशक, विकास एवं पंचायतराज,

उप आयुक्त, वित्त विभाग,

निदेशक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा,

संधान का प्रतिनिधि,

विकास अध्ययन संस्थान का प्रतिनिधि,

भारत सरकार के एक या दो प्रतिनिधि,

आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों का सहवरण किया जा सकता है।

3. उपस्कर आदि संभार सामग्री

प्रायोजना की क्रियान्विति बिना किसी नये भवन आदि के निर्माण के की जा सकती है। वर्तमान स्कूल भवन आदि का उपयोग विशेषज्ञ तथा शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिए किया जा सकेगा। दिन के स्कूल तथा रात्रि केन्द्रों के लिए विद्यमान प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक केन्द्रों का उपयोग होगा। महिला शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण एवं आवास के लिए किराये के भवनों का उपयोग होगा। किन्तु प्रायोजना की क्रियान्विति यातायात और वाहन की अतिरिक्त सुविधा के बिना सम्भव नहीं होगी। अतः प्रायोजना प्रसार अधिकारियों के लिए मोटर-साइकिल तथा पेट्रोल

व्यय का प्रावधान किया गया है (खण्ड 2.3.2 में आइटम सी के अन्तर्गत 140 मोटर-साइकिलें), 'प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय' तथा 'संधान' को एक-एक ऐसा वाहन दिया जायेगा जो दोहरी गीयर व्यवस्था वाला हो। निदेशालय, राज्य प्रशिक्षण संस्थान, संधान, विकास अध्ययन संस्थान और स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए बजट में पर्याप्त यात्रा व्यय का प्रावधान किया गया है।

4. अनुसन्धान

प्रायोजना की सफल क्रियान्विति के लिए अनुसन्धानों की मदद और उपयोग आवश्यक होता है। इस प्रायोजना के सन्दर्भ में विधि-प्रविधि, शिक्षण-सामग्री में सुधार, बच्चों के ठहराव के उपाय आदि पर 'राज्य शिक्षा संस्थान' द्वारा क्रियानुसन्धान किए जायेंगे। पहली अर्धवार्षिक समीक्षा के पहले 'राज्य शिक्षा संस्थान' के संयुक्त/उप निदेशक एक अनुसन्धान कार्यक्रम तैयार करेंगे। 'संधान' तथा अन्य सहयोगी संस्थान भी ऐसे अनुसन्धानों के लिए उत्प्रेरित किए जाएंगे।

5. प्रबोधन तथा प्रतिवेदन

प्रायोजना के क्रियाकलाप दूर-दूर बसे गाँवों तथा व्यापक क्षेत्र में चलेंगे। कई भिन्न-भिन्न संगठन और संस्थाओं का उनमें योगदान होगा। अतः समग्र रूप से प्रबन्ध, व्यवस्था और विकास के लिए निरन्तर प्रबोधन एक महत्त्वपूर्ण चरण होगा।

इस प्रायोजना में प्रबोधन के भिन्न-भिन्न तीन तरीके काम में लिये जायेंगे :—

1. भौतिक, वित्तीय और मानव संसाधनों का आन्तरिक प्रबोधन तथा नियमन जो कि आम तौर पर सरकारी नियम, उपनियम और प्रक्रिया के अनुकूल होगा। 'विकास अध्ययन संस्थान' की सलाह से उनमें समीक्षापरक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

2. विकास-अध्ययन का विशिष्ट प्रबोधन। इसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे :

–दिवस तथा रात्रि केन्द्रों की संख्या (स्थापित)

–चयनित, प्रशिक्षित तथा कार्यरत शिक्षाकर्मियों की संख्या

–लम्बी अवधि के प्रशिक्षण में लगी हुई महिला शिक्षाकर्मियों की संख्या

–आयु-वार तथा लिंग-वार केन्द्रों पर आने वाले बच्चों की संख्या

–शिक्षाकर्मी द्वारा नियोजित शिक्षण अथवा प्रशिक्षण की अवधि

प्रायोजना निदेशक द्वारा इस प्रबोधन का सरल प्रारूप 'विकास अध्ययन संस्थान' की सलाह से बनाया जायेगा। प्रायोजना प्रसार अधिकारी अपनी हर यात्रा पर और मासिक बैठकों के समय इस प्रारूप की सूचनाएं एकत्रित करेंगे। प्रथम वार्षिक समीक्षा के समय इन सूचनाओं और प्रबोधन प्रणाली की पर्याप्तता का मापन किया जायेगा।

3. सहकारी प्रबोधन तथा मूल्यांकन। इसका प्रवर्तन तथा संचालन 'विकास अध्ययन संस्थान' द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन की इस रीति में विकास संस्थान के अधिकारियों की भूमिका सर्वथा भिन्न होगी। उनके तरीके में निरीक्षण की बजाय सहकारी समर्थन और सहायता की नीति होगी, तथ्यों और सूचनाओं का संकलन संवाद और समस्या के अनुभवों से किया जायेगा और किसी भी तरह के मापन यन्त्र–प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि की सहायता नहीं ली जायेगी।

प्रायोजना के उपरिलिखित प्रबोधन-प्रारूपों का संकलन विकास-अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रगति का सारांश प्रायोजना निदेशक को हर माह प्रस्तुत किया जाता रहेगा। भौतिक और वित्तीय साधनों का औपचारिक प्रबोधन, विकास अध्ययन के प्रतिवेदन और सहकारी प्रबोधन की सूचनाएं – ये तीनों मिल कर प्रायोजना के आन्तरिक मूल्यांकन का स्वरूप बनायेंगे।

6. मूल्यांकन और समीक्षा

'संयुक्त अर्धवार्षिक समीक्षा' वर्ष में दो बार होंगी। उसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार, संचालन समिति, स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के प्रतिनिधि और सलाहकार होंगे। यह निश्चय किया गया है कि ये समीक्षाएं प्रति वर्ष मई और नवम्बर माह में होंगी। नवम्बर की समीक्षा अधिक विस्तृत होगी और उसमें आगामी वर्ष की कार्य-योजना, बजट तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।

अर्धवार्षिक समीक्षाओं में प्रबोधन की तीन रीतियों से प्राप्त सूचनाओं, प्रतिवेदनों तथा अन्य सम्बद्ध सूचनाओं के आधार पर प्रायोजना की प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। कुछ विशिष्ट प्रसंगों में सिडा के समीक्षा मण्डल के सदस्य पूरक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विशेष अध्ययन भी कर सकते हैं। अतः समीक्षा के दो सप्ताह पहले सब सूचनाएं अवश्य उपलब्ध रहनी चाहिये। इन समीक्षाओं में प्रायोजनाकर्मियों के साथ साक्षात्कार अथवा कार्य-गोष्ठियाँ भी हो सकती हैं।

1989 के अन्त में प्रायोजना की 'मध्यावधि समीक्षा' होगी। उसमें प्रायोजना की प्रगति के अलावा निम्नलिखित का भी निर्णय होगा :

—आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोजना का विस्तार,

—प्रायोजना में सिडा के भावी योगदान के लिए भारत सरकार और सिडा के विचार-विमर्श हेतु पूर्व सूचनाओं की उपलब्धि,

अतः, मध्यावधि समीक्षा से पहले प्रायोजना के निष्पादन और मूल्यांकन तथा उसके लोक-प्रभाव का पंक्का अध्ययन करना होगा।

7. सम्बद्ध अध्ययन तथा विदेशी सलाहकारिता

प्रायोजना में नये उपायों की खोज, समस्याओं के निदान, समाधान का संकल्प और उसके लायक क्षमता भी होनी चाहिये। किसी समय शिक्षाकर्मी की स्थिति और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण भी करना होगा। उसी तरह इन केन्द्रों पर शिक्षा पाने वाले बच्चों की उपलब्धियों का आकलन भी मध्यावधि समीक्षा के पहले करना होगा। इस प्रकार के अध्ययन गैर भारतीय सलाहकारों द्वारा किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सिडा भी (अपने अनुभव के लिए और इस तरह की नवाचारमुखी योजना के लाभ जानने के लिए, अथवा संयुक्त समीक्षा हेतु आधारभूत सूचनाएं पाने के लिए) स्वीडिश सलाहकारों को लगा सकती है। इस प्रयोजन के लिए स्वीडिश क्रोन में 3.8 मिलियन (38 लाख) की विदेशी मुद्रा का प्रावधान किया गया है। इस राशि में संयुक्त समीक्षा का व्यय भी शामिल होगा।

8. प्रायोजना का क्रमबद्ध विस्तार

प्रायोजना का विस्तार क्रमशः होगा। उसका गुणात्मक और संख्यात्मक विस्तार प्रारम्भिक चरणों की सफलता और उपलब्धियों पर निर्भर करेगा। संयुक्त समीक्षाओं का एक महत्त्वपूर्ण कार्य उपलब्धियों की परख करने और भावी विकास-दर का निर्धारण करने का होगा। आवश्यकता हुई तो विस्तार में सुधारात्मक उपाय भी अपनाए जायेंगे और साधनों तथा माध्यमों में हेरफेर भी किया जा सकेगा।

चूंकि आरम्भ में प्रशिक्षण-कार्यक्रम और साधनों के जुगाड़ पर, उपकरण, मानव संसाधन, शिक्षाकर्मियों का चयन, गाँवों का चयन, प्रबोधक संस्थाओं की पहचान, मूल्यांकन और प्रबोधन की रीतियों का विकास, ग्राम

समितियों का गठन आदि पर बल रहेगा, इसलिए आरम्भ के वर्ष में प्रायोजना के वास्तविक लक्ष्य सामान्य रहेंगे। संस्था की जमावट तथा प्रशिक्षण पर ही बल रहेगा। योजना की उपलब्धियां इन कामों के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर रहेंगी। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम आधारित स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था स्थापित करने के काम को दी जानी चाहिये। अतः भौतिक लक्ष्यों को प्रारम्भिक मानना चाहिये।

2.3 बजट तथा वित्तीय प्रश्न

1. प्रायोजना व्यय

1-7-1987 से 30-6-1993 तक की छह वर्ष की अवधि के लिए प्रायोजना का कुल व्यय 2224.7 लाख रुपयों का निर्धारित है। इसमें प्रतिवर्ष 7% व्यय-वृद्धि की दर शामिल है।

अनुमानित व्यय और लक्ष्यों का वार्षिक वितरण नीचे .2 में दिया गया है :—

आरम्भिक स्तर पर इसमें सिडा की सहायता चार वर्षों के लिए है। 1-7-87 से 30-6-91 तक चार वर्षों का प्रायोजना की तैयारी का व्यय जैसा कि .3 में बताया गया है, वह 874.2 लाख रुपयों का है। व्यय में राजस्थान सरकार की भागीदारी को मिलाते हुए (.4 के अनुसार) सिडा का यह योगदान स्वीडिश क्रोन में 481 लाख क्रोनों का होगा। इसमें बिन्दु .5 में बताए अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए 40 लाख क्रोन और जोड़े जायेंगे।

2. बजट

निम्नलिखित बजट अनुमानों में व्यय का निर्धारण पहले तो प्रति विकास खण्ड 15 दिवस केन्द्र, 30 रात्रि केन्द्र और 34 शिक्षाकर्मी मान कर किया गया है। तब परिशिष्ट-4 में बताए अनुसार भौतिक लक्ष्यों पर उसे फला कर बताया गया है।

(क) दिवस केन्द्रों के लिए व्यय : देखें 2.1.4 तथा 2.1.7

आवर्तक व्यय (प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष)	रुपये
मानदेय (34 शिक्षाकर्मी × 12 माह × 300 रु.)	1,23,000
आवर्तक व्यय (चाक, पैंसिल, कागज, शिक्षण सामग्री, आदि 15 केन्द्र × 630 रु.)	10,000
शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण (30 दिन वार्षिक, 10 दिन अर्धवार्षिक, 2 दिन मासिक 8 माह तक, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता, मानदेय 6 सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रति विकास खण्ड)	62,000
अनावर्तक व्यय प्रति विकास खण्ड (श्यामपट्ट, शिक्षण सामग्री, बाल्टी, फर्नीचर आदि, 15 केन्द्र × 1,000 रु.)	15,000

नोट : शिक्षाकर्मी का मानदेय 300 रु. प्रतिमाह की दर से निर्धारित किया गया है। यदि मूल्य वृद्धि के कारण इसे बढ़ाना पड़ा तो संयुक्त समीक्षा के बाद 7% वृद्धि-प्रावधान के अन्तर्गत उसका समायोजन किया जायेगा।

(ख) रात्रि केन्द्रों के लिए व्यय : देखें 2.1.6

आवर्तक व्यय (प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष)	रुपये
मानदेय (30 शिक्षाकर्मी × 12 माह × 105 रु.)	38,000
अन्य आवर्तक व्यय (पुस्तकें, प्रकाश आदि, 30 केन्द्र × 1,380 रु.)	41,400
अनावर्तक व्यय प्रति विकास खण्ड (30 केन्द्र × 1,000 रु.)	30,000

नोट : यह ढांचा सरकारी अनौपचारिक शिक्षा का ढांचा है। जब सरकार इसमें परिवर्तन करेगी तब यह स्वतः परिवर्तित हो जायेगा।

(ग) **परिवीक्षण** : देखें 2.1.9 तथा 2.2 घ और च

प्रति विकास खण्ड वेतन और भत्ते (एक प्रायोजना प्रसार अधिकारी, 12 माह × 2,500 धन 5,000)	35,000
अन्य आवर्तक व्यय (प्रशिक्षण, पेट्रोल व्यय आदि)	6,000
अनावर्तक व्यय (मोटर साइकिल)	18,000

क, ख, ग का योग वर्ष 1 से 6 तक (लाख रुपयों में)

वर्ष	1	2	3	4	5	6
विकास खण्ड संख्या	10	30	50	80	110	140
आवर्तक व्यय	30.5	98.5	175.7	300.9	442.7	602.8
अनावर्तक व्यय	6.3	13.5	14.4	23.2	24.8	26.5

	4 वर्ष बाद	**6 वर्ष के बाद**
आवर्तक	605.9	1651.3
अनावर्तक	57.4	108.6
योग	663.3	1,759.9

(घ) प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन तन्त्र का विकास–गैर सरकारी संस्था : देखें 2.2.1 ङ

संधान

पहला वर्ष : 1 प्रायोजना समन्वयक, 2 विषय विशेषज्ञ, 2 अनुसन्धान सहायक, 2 लिपिक, 2 सहायक	
वेतन व्यय	रु. 2,82,000
अन्य आवर्तक व्यय (यात्रा, किराया, स्टेशनरी आदि)	रु. 1,50,000
सलाहकारिता व्यय	रु. 50,000
अनावर्तक व्यय (एक गाड़ी, ऑफिस, फर्नीचर आदि)	रु. 2,00,000
दूसरा वर्ष : 2 अतिरिक्त कार्मिक, 2 विषय विशेषज्ञ, 2 अनुसन्धान सहायक, लिपिक	
अतिरिक्त वेतन	रु. 2,04,000
अन्य आवर्तक व्यय अतिरिक्त	रु. 1,00,000

नोट : यदि सन्धान को अतिरिक्त कार्यभार लेने की आवश्यकता होगी तो उसे अतिरिक्त कार्मिक शक्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे निर्णय संयुक्त समीक्षा के समय होंगे।

विकास अध्ययन संस्थान

पहला वर्ष : 1 प्रायोजना समन्वयक, 1 सहायक कर्मचारी	
वेतन व्यय	रु. 86,000
अन्य आवर्तक व्यय (यात्रा, स्टेशनरी आदि)	रु. 75,000
अनावर्तक व्यय (टाइपराइटर आदि)	रु. 29,000
दूसरा वर्ष : 1 सहायक कर्मचारी	
अतिरिक्त वेतन व्यय	रु. 24,000
अन्य आवर्तक व्यय	रु. 25,000

घ का योग वर्ष 1 से 6 तक (लाख रुपयों में)

वर्ष	1	2	3	4	5	6
आवर्तक व्यय	6.4	10.4	11.2	11.9	12.7	13.6
अनावर्तक व्यय	2.3	–	–	–	–	–

	4 वर्ष बाद	6 वर्ष के बाद
आवर्तक	39.9	66.2
अनावर्तक	2.3	2.3
योग	42.2	68.5

(ङ) जिलास्तरीय स्वैच्छिक संस्थाएं : देखें 2.2.1 च

पहला वर्ष : 1 विशेषज्ञ, 1 सहायक कर्मचारी		
वेतन व्यय		रु. 66,000
अन्य आवर्तक व्यय (यात्रा, बैठकें आदि)		रु. 10,000
वर्ष 2, 3	वही खर्च	
वर्ष 4, 5 व 6 : 1 अतिरिक्त विशेषज्ञ, 1 सहायक कर्मचारी		
वेतन व्यय		रु. 66,000
अन्य आवर्तक व्यय		रु. 20,000

क का योग वर्ष 1 से 6 तक (लाख रुपयों में)

वर्ष	1	2	3	4	5	6
स्वैच्छिक संस्था 1						
प्रति जिला	3	5	7	9	11	14
आवर्तक व्यय	2.3	4.0	6.1	17.3	22.6	30.8
अनावर्तक व्यय	–	–	–	–	–	–

	4 वर्ष बाद	6 वर्ष के बाद
योग	29.7	83.1

(च) राज्य शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान
देखें 2.2.1 ख

पहला वर्ष : 1 संयुक्त/उपनिदेशक, 2 उप/सहायक निदेशक,
6 सहायक कर्मचारी, 2 सहायक

वेतन व्यय	रु. 2,41,000
अन्य आवर्तक व्यय (कार्यगोष्ठी, यात्रा, छपाई आदि)	रु. 2,00,000
पत्रिका तथा अन्य सामग्री	रु. 1,00,000

संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण (दो विकास खण्डों के लिये 6 का दल, दो वर्ष बाद उनका अभिनव, 750 रु. प्रति संदर्भ व्यक्ति पहले प्रशिक्षण के लिए तथा 400 रु. अभिनव के लिये) :

वर्ष–1	रु. 23,000
वर्ष–2	रु. 48,000
वर्ष–3	रु. 65,000
वर्ष–4	रु. 1,12,000
वर्ष–5	रु. 1,36,000
वर्ष–6	रु. 2,23,000
6 वर्षों का योग	रु. 6,07,000
अनावर्तक व्यय (टाइपराइटर, फर्नीचर आदि)	रु. 1,00,000

(छ) अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय : देखें 2.2.1 क

1 संयुक्त/अपर निदेशक, 1 उप/सहायक निदेशक, 1 प्रायोजना अधिकारी, 6 लिपिक, 1 चालक, 2 सहायक कर्मचारी	
वेतन व्यय	रु. 2,65,000
अन्य आवर्तक व्यय (यात्रा, पेट्रोल, छपाई, ऑफिस आदि)	रु. 1,50,000
अनावर्तक व्यय (वाहन, फर्नीचर, उपस्कर आदि)	रु. 1,75,000

च, छ का योग वर्ष 1 से 6 तक (लाख रुपयों में)

वर्ष	1	2	3	4	5	6
आवर्तक व्यय	9.8	10.7	11.6	12.8	13.9	15.6
अनावर्तक व्यय	2.8	–	–	–	–	–

	4 वर्ष बाद	6 वर्ष के बाद
आवर्तक	44.9	74.4
अनावर्तक	2.8	2.8
योग	47.7	77.2

(ज) महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केन्द्र : देखें 2.1.5 च

30 शिक्षाकर्मियों के लिए प्रति एक स्कूल का व्यय :
4 अध्यापक, 1 सहायक कर्मचारी, 1 चौकीदार, 2 सहायक

वेतन व्यय	रु. 1,39,000
अन्य आवर्तक व्यय (चार सौ रुपये मासिक जिसमें भोजन भी शामिल है, स्टाइफंड होस्टल, स्टेशनरी, पुस्तकें, प्रकाश,पानी, खेलकूद, शिक्षण सामग्री, भ्रमण, पालनाघर आदि)	रु. 1,51,000
अनावर्तक व्यय (शिक्षण सामग्री, होस्टल उपस्कर आदि)	रु. 45,000

ज का योग वर्ष 1 से 6 तक (लाख रुपयों में)

वर्ष	1	2	3	4	5	6
केन्द्रों की संख्या	2	4	7	10	15	20
व्यय प्रति वर्ष	6.7	13.5	24.7	37.2	60.0	84.5

	4 वर्ष बाद	6 वर्ष के बाद
योग	82.1	226.6

वार्षिक तथा कुल आय

नीचे की सारणी में क, ख, ग आदि पहले बताए गए मदों के संकेतक हैं। भौतिक लक्ष्य आगे परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं।

वार्षिक तथा कुल व्यय (रुपये लाखों में)

	प्रायोजना पूर्व	1	2	3	4	5	6	कुल
राज्य मद में								
क, ख, ग	8.4	36.8	112.0	190.1	324.1	467.5	629.3	1768.2
च, छ	1.1	12.6	10.7	11.6	12.8	13.9	15.6	78.3
ज	–	6.7	13.5	24.7	37.2	60.0	84.5	226.6
सरकारी मद में								
घ	–	8.7	10.4	11.2	11.9	12.7	13.6	68.5
ङ	–	2.3	4.0	6.1	17.3	22.6	30.8	83.1
योग/वर्ष	9.5	67.1	150.6	243.7	403.3	576.7	773.8	
महायोग							2224.7	लाख

4 वर्ष के बाद का योग : 874.2 लाख

3. प्रायोजना की तैयारी के लिए पूर्व व्यापी वित्तीय प्रावधान

कुछ विकासात्मक कार्य, जैसे– संधान तथा विकास अध्ययन संस्थान कर्मियों की सेवाएं प्राप्त करना, प्रायोजनाकर्मियों का प्रशिक्षण, सन्दर्भ व्यक्ति तैयार करना, शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण, प्रथम वर्ष की कार्य-योजना तैयार करना, प्रथम चरण के विकास खण्डों में दिवस तथा रात्रि केन्द्रों की स्थापना, सन्दर्भ व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उपकरण, वाहन

आदि क्रय करना—प्रायोजना-पूर्व चरण में किए जाएंगे। यह पूर्व चरण यथाशीघ्र 1986-87 में आरम्भ हो जाएगा। प्रायोजना का आरम्भ 1.7.87 को होना है।

जब तक विदेशी सहयोग के विवरणों पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक राजस्थान सरकार के लिए प्रायोजना-पूर्व क्रियान्विति पूरी तरह से करना सम्भव नहीं है। तथापि यदि प्रायोजना को 1 जुलाई 1987 से आरम्भ करना है तो कुछ कार्यों का संचालन शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, संधान तथा विकास अध्ययन संस्थान द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। प्रायोजना-पूर्व की क्रियाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जो 6 लाख रुपये अलग से नामांकित किए गए हैं, उनमें से व्यय किया जा सकेगा। वह राशि शिक्षाकर्मी योजना—86-87 के लिए निर्दिष्ट है। उस राशि का पुनर्भरण तब हो जाएगा जब भारत सरकार और सिडा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होकर बजट प्रावधान प्राप्त होगा। वह समझौता 1 जुलाई 1987 से लागू होगा।

ऊपर बिन्दु 2 में जो बजट अनुमान बताए गए हैं, उनमें प्रायोजना-पूर्व की क्रियाएं निम्नलिखित हैं :

(क)	दिवस केन्द्र	
	4 विकास खण्डों में 6 माह तक 34 शिक्षाकर्मी तथा अगले 6 विकास खण्डों के लिए शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण	6,15,000
(ख)	रात्रि केन्द्र	
	4 विकास खण्डों में 6 माह तक 30 शिक्षाकर्मी	1,42,000
(ग)	परिवीक्षण	
	6 माह तक 4 परिवीक्षक	84,000
(घ)		—
(ङ)		—

(च, छ) निदेशालय अनौपचारिक शिक्षा तथा राज्य प्रशिक्षा संस्थान

6 माह तक कार्मिक व्यय	1,07,000
(ज)	–

संधान तथा विकास अध्ययन संस्थान की प्रायोजना-पूर्व सेवाओं के लिए सिडा से प्राप्त सहायता पर निर्भर करना होगा क्योंकि राज्य सरकार तब तक गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता नहीं दे सकती जब तक कि प्रायोजना विधिवत आरम्भ न हो जाए। तथापि प्रायोजना पूर्व की क्रियाओं की अत्यावश्यकता को देखते हुए इन गैर सरकारी संस्थाओं को इसमें अवश्य भाग लेना चाहिये। देखें–नीचे बिन्दु 5

4. व्यय की भागीदारी

प्रायोजना छह वर्षों के लिए है। राजस्थान सरकार इसमें संचालन व्यय का 10% तक अपनी ओर से व्यय करेगी और उसके लिए हर वर्ष बजट प्रावधान करेगी। महंगाई दर के बढ़ने का और प्रासंगिक व्यय का पूरा भार सिडा द्वारा वहन किया जायेगा। सातवीं योजना के बाद और प्रायोजना की मध्यावधि समीक्षा के समय राजस्थान सरकार को अपना दायित्व इतना बढ़ाना होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में और प्रायोजना अवधि के पूरा होने पर वह इस प्रायोजना की सभी क्रियाओं का भार स्वतः वहन कर सके।

5. विदेशी विनिमय की आवश्यकताएं

प्रायोजना की विकासात्मक प्रवृत्तियों के लिए समीक्षा, विशेषज्ञों की सेवा आदि के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय की आवश्यकता होगी। प्रायोजना व्यय की सहायता के अतिरिक्त सिडा द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय का भार वहन किया जायेगा। आरम्भ के चार वर्षों तक प्रायोजना से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा विनिमय का अनुमान इस तरह से होगा :

	प्रायोजना पूर्व वर्ष			(मुद्रा स्वीडिश क्रोन में)	
	1	2	3	4	योग
समीक्षा मिशन तथा विशेषज्ञता	.50	.52	.54	.57	2.13
विशेष अध्ययन	.15	.16	.17	.19	.67
अध्ययन वृत्ति	.50	.50	–	–	1.00
प्रायोजना पूर्व व्यय तथा अन्य व्यय, सिडा द्वारा गैर सरकारी राशि					.20
महायोग			**40 लाख स्वीडिश क्रोन**		

6. मध्यावधि समीक्षा तथा बजट संशोधन

बिन्दु 2.2.6 में बताये अनुसार 1989 की पिछली छमाही में मध्यावधि समीक्षा होगी। उसमें सिडा द्वारा अगले दो वर्षों के लिए सहायता जारी रखने के प्रश्न पर विचार होगा और उन दो वर्षों के लिए बजट प्रावधान का संशोधन होगा। विकास और विस्तार की प्रस्तावित योजना के अनुसार प्रायोजना व्यय का 60% भाग अन्तिम दो वर्षों में आता है।

इस कार्य-सूची में संक्षिप्ताक्षरों का आशय :

नि. अनौ. शि.	:	निदेशक अनौपचारिक शिक्षा, राजस्थान
संचा. स.	:	संचालन समिति
वि. अधि.	:	विकास अधिकारी
गै. स. सं.	:	गैर सरकारी संस्थान
राज्य प्रशिक्षा	:	राजस्थान राज्य शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान
जिला प्रशिक्षा	:	जिला शिक्षानुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
जि. सं. इ.	:	जिला संदर्भ इकाई
प्रा. प्र. अधि.	:	प्रायोजना प्रसार अधिकारी
शि. क.	:	शिक्षाकर्मी
वि. अ. सं.	:	विकास अध्ययन संस्थान
भारत सर.	:	भारत सरकार

कार्य-योजना 1987-88 : 1-7-87 से 30-6-88 (प्रायोजना पूर्व कार्यक्रमों सहित)

कार्य संख्या	कार्य-विवरण (दस्तावेज में निर्दिष्ट संख्या सहित)	कार्याधिकार	कार्य सम्पादन	प्रायोजना पूर्व कार्य	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1.	संचालन समिति की स्थापना (2.2.2 घ), बैठकें	शिक्षा आयुक्त	निदे. अनौ. शिक्षा	दिस. 86	x			x			x			x		
2.	गैर सरकारी संस्थानों का चयन तथा उनकी निर्दिष्टि (2.1.9 ख, 2.2.1 च)	संचा. समिति	संधान	x	x									x	x	
3.	विकास खंडों का निश्चय तथा चयन (2.1.1)	निदे. अनौ. शि.	निदे. अनौ. शि.	x	x	x								x	x	
4.	प्रायोजना गांवों का निश्चय तथा चयन (2.1.1)	निदे. अनौ. शि.	विकास अ.	x		x									x	x
5.	अधिकारियों की भरती (2.2.1) राज्य सरकार गैर सरकारी संस्था	संचा. समिति संधान	नि. अनौ. गै. स. सं.	x x	x	x x	x x	 x								x x
6.	प्रायोजना सामग्री की खरीद (2.2.3, 2.3.2) राज्य सरकार गैर सरकारी	नि. अनौ. शि. संधान	निदे./ वि. अ. गै. स. सं.	x	x		 x	x x	x							
7.	ग्राम समितियों का गठन (2.2.2 क)	संधान	गै. स. सं.			x	x									x
8.	महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (2.1.5, 2.2.1 ग)	नि. अनौ. शि.	राज्य प्रशिक्षा/ जिला प्रशिक्षा			x	x	x								x
9.	महिला शिक्षाकर्मियों का चयन (2.1.5)	नि. अनौ. शि.	गै. स. सं.			x	x	x		x	x	x		x	x	x
10.	शिक्षाकर्मी चयन समितियों का गठन (2.1.2, 2.2.2 ख)	नि. अनौ. शि.	वि. अधि.			x	x								x	x
11.	विकास खंड पर समितियों का गठन (2.2.2 ग)	नि. अनौ. शि.	वि. अधि.			x	x								x	x
12.	संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण (2.1.3 ख)	नि. अनौ. शि.	राज्य प्रशिक्षा	x	x	x									x	x
13.	जिला संदर्भ इकाइयों का गठन (2.1.9 ख)	संधान	गै. स. सं.			x	x	x							x	x
14.	ग्रामवार शिक्षित व्यक्तियों की सूची तैयार करना (2.1.2)	संधान	जि. सं. इ.			x	x								x	x
15.	शिक्षाकर्मियों का चयन तथा प्रशिक्षण (2.1.4)	वि. अधि.	प्रा. प्र. अधि.	x	x	x	x	x							x	x
16.	पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का विकास (2.1.8)	नि. अनौ. शि.	राज्य प्रशिक्षा		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	प्रायोजना प्रसार अधिकारी द्वारा क्षेत्र निरीक्षण (2.1.9 ग)	वि. अधि.	प्रा. प्र. अधि.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	शिक्षाकर्मियों द्वारा ग्राम सर्वेक्षण (2.1.9 ङ)	संधान	प्रा. प्र. अ./ शि. क.	x	x		x	x	x							x
19.	प्रायोजना कर्मियों के लिए अभिस्थापन/अभिनवन कार्यक्रम (2.1.3 क)	नि. अनौ. शि.	संधान			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20.	दिवस तथा रात्रि केंद्रों की स्थापना (2.1.6, 2.1.7)	नि. अनौ. शि.	वि. अधि.		x			x	x							
21.	छात्रों का नामांकन (2.1.6, 2.1.7), प्रशिक्षण एवं शिक्षा	वि. अधि.	शि. क.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22.	प्रबोधन एवं निरीक्षण (2.2.5)	नि. अनौ. शि.	वि. अधि./ प्रा. प्र. अ.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23.	सहकारी प्रबोधन एवं मूल्यांकन (2.1.9 क, 2.2.5)	संधान	वि. अ. सं.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24.	आंतरिक प्रतिवेदन (2.2.5)	नि. अनौ. शि.	राज्य प्रशिक्षा		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25.	मासिक पत्रिका का प्रकाशन (2.1.9 घ)	नि. अनौ. शि.	राज्य प्रशिक्षा		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26.	क्रियानुसंधान कार्यक्रम तैयार करना (2.2.4)	नि. [illegible] शि.	राज्य प्रशिक्षा				x	x								
27.	प्रगति प्रतिवेदन (2.2.5)	नि. अनौ. शि.	नि. अनौ. शि.					x						x		
28.	संयुक्त अर्धवार्षिक समीक्षा (1.2.6)	भारत सर.	नि. अनौ. शि./सिडा						x						x	

परिशिष्ट–1

शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण :

संधान के तत्वावधान और प्रबंध के अन्तर्गत शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण विकास खंडों पर संदर्भ व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न होगा। राज्य प्रशिक्षा संस्थान उसके लिए पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रशिक्षण के चार पक्ष होंगे :

– सामाजिक सम्बन्ध और सजगता की वृत्ति का निर्माण।

– प्राथमिक शिक्षा की विषयवस्तु।

– शिक्षण विधि और तकनीकें।

– स्वच्छता, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा।

सामाजिक सम्बन्ध और सजगता :

शिक्षाकर्मियों को ऐसे अधिगम व्यवहारों का अवसर दिया जाएगा कि वे

– स्थानीय समुदाय के साथ मधुर सम्बन्ध बना सकें,

– अभिभावकों से ऐसा सार्थक आग्रह कर सकें कि वे अपने बच्चों की स्कूल भेजने पर राजी हो जाएं,

– गांव वालों की सहायता करके उन्हें अपनी समस्या को अच्छी तरह समझने और समाधान खोजने की प्रेरणा दे सकें,

– अपने को पूरे समुदाय द्वारा स्वीकृति के योग्य बना सकें,

– सामाजिक विकास के हर काम में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

विषय वस्तु :

शिक्षाकर्मियों की शैक्षिक कमियों का पहले पता लगाया जाएगा और तब ऐसा कार्यक्रम बनाया जाएगा कि वे–

– कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की निर्धारित विषयवस्तु–हिन्दी, गणित, सामाजिक ज्ञान और पर्यावरण विज्ञान–का शिक्षण योग्य अधिकार पा सकें,

– स्थानीय सामग्री और उपकरणों का उपयोग करते हुए विज्ञान के सामान्य प्रयोग कर सकें,

– पाठ्यक्रम को स्थानीय वातावरण के साथ अनुकूलित कर सकें।

शिक्षण विधि :

शिक्षाकर्मियों में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास किया जाएगा :

– कि वह गणित तथा विज्ञान के शिक्षण में संश्लेषण-विश्लेषण की विधि अपना सके,

– भाषा तथा सामाजिक ज्ञान के शिक्षण के लिए कहानी कथन, नाटक तथा अन्य सुसंगत विधियों का उपयोग कर सके,

– विज्ञान के बुनियादी सम्बोधों के लिए प्रवृत्तियों का संचालन कर सकें।

शिक्षण विधियों के लिए 2.1.4 भी देखें।

स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा :

शिक्षाकर्मी इस योग्य बनेगा कि वह–

– अपने को सक्रिय रखने के लिए शारीरिक शिक्षा के अभ्यास करेगा,

– विभिन्न खेल खेल सकेगा,

– व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का विकास करेगा,

– अपने शिक्षण कार्यक्रम में इन घटकों को दैनिक कार्यक्रम का अंग बनाएगा, दिन के केंद्र में भी और रात्रि के केंद्र में भी।

प्रशिक्षण की अवधि :

शिक्षाकर्मी को 30 दिन का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद एक बार 10-15 दिनों का प्रशिक्षण पहले वर्ष में और दो बार आगामी वर्षों में दिया जाएगा।

इसके अलावा हर माह दो दिन उसके प्रबोधन और समस्या-समाधान पर व्यय किए जाएंगे। यह कार्यक्रम प्रायोजना की पूरी अवधि तक चलेगा।

पत्राचार पाठ :

पत्राचार पाठों के रूप में शिक्षाकर्मियों को शिक्षा और प्रशिक्षण में समृद्ध किया जाएगा। ऐसे पाठ राज्य शिक्षानुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रायोजना की मासिक पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे और शिक्षाकर्मी तक पहुंचाए जाएंगे।

परिशिष्ट–2

सहकारी मूल्यांकन :

विकास अध्ययन संस्थान द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी

1. सहकारी मूल्यांकन का प्रयोजन विशिष्ट क्रिया-विकास/मध्यस्थता द्वारा नये ज्ञान का उत्पादन तथा परख करना है कि वह किस तरह से या किस सीमा तक प्रायोजना के पुनर्बलन में सहायक होता है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें प्रायोजना के मूल लक्ष्यों को ध्यान में रख कर उसके हर घटक और हर चरण के साथ गूंथना होता है।

2. ऐसे नये ज्ञान के दो लक्षण होते हैं। एक तो उसे प्रामाणिक होना चाहिए। इसके लिए उसे सामान्य परिस्थितियों में बिना कसी दबाव या यांत्रिक तरीके के उभरना चाहिए। दूसरा लक्षण पर्याप्तता का होता है। उसके लिए एक ही परिस्थिति को कई दृष्टियों से देखने-समझने के अवसर बनने चाहिए। इन दोनों के लिए मूल्यांकन को सहकारी तथा निरंतर समूह में काम करने के साथ जुड़ना चाहिए।

3. इसका आशय यह है कि मूल्यांकन को विचार-विमर्शात्मक होना चाहिए जिसमें प्रायोजना के सभी सदस्य एक निश्चित अंतराल के बाद बाहरी या भीतरी घटकों की सहायतापूर्वक भागीदारी करें।

4. विचार-विमर्श से उत्पन्न सूचनाओं को सारभूत ज्ञान के रूप में मान्य करना चाहिए। यह सार अनुभूत आवश्यकताओं से जनित होगा और उसमें सबका विचार मंथन शामिल होगा। इस तरह से अर्जित ज्ञान को क्रिया में शामिल करने का नाम ही सहकारी प्रबोधन होगा। इस तरह के निष्कर्षों को कहीं लेखाबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उनकी प्रभावकारिता साधारण अनुभवों से ही ज्ञात हो जाएगी कि उनसे काम में कुछ नयापन या संजीवन आ रहा है या नहीं। मूल्यांकनकर्ता अभिकरण तथा विशेषज्ञों की भूमिका यह होती है कि वे समय-समय पर शिक्षाकर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं—प्रशिक्षण में, कार्यगोष्ठियों में, मासिक बैठकों में, भ्रमण में और अन्य कामों में। जैसे-जैसे प्रायोजना की प्रगति होगी सहकारी मूल्यांकन की परिभाषा निरंतर अनुक्रिया और समस्या-समाधान में सहायता के रूप में होती जाएगी।

परिशिष्ट–3

विभिन्न उपकरणों की भूमिका

अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय :

– प्रायोजना के विस्तृत विवरण तैयार करना,

– प्रायोजना का मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रबोधन एवं समीक्षा,

– उपयुक्त अधिकारियों का चयन तथा उनका यथास्थान उपयोग,

– गैर सरकारी संस्थाओं का चुनाव तथा उनके सहयोग की सुविधाएं,

– विविध अभिकरणों को समय पर वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराना और यथासमय वित्तीय साधनों का उपयोग कराना,

– प्रायोजना से सम्बद्ध विविध अभिकरणों में सार्थक समन्वय कराना,

– प्रायोजना का सुचारु संचालन निश्चित करना तथा चुनाव, प्रशिक्षण, साधन-सामग्री, मूल्यांकन आदि में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना,

– प्रायोजना के विभिन्न घटकों का समग्र परिवीक्षण करना,

– प्रशासनिक स्वीकृतियां और निर्देश जारी करना।

राज्य शिक्षानुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान :

– संदर्भ व्यक्तियों का चयन करना,

– उनका प्रशिक्षण करना,

– उनके प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त साहित्य का निर्माण करना,

– शिक्षाकर्मियों के लिए इकाईबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम और साहित्य तैयार करना,

- शिक्षाकर्मियों के लिए पत्राचार पाठ तैयार करना,
- परिवीक्षकों और शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी करना,
- शिक्षाकर्मियों के उपयोग के लिए साहित्य तैयार करना और उसे प्रकाशित करके उन तक पहुंचाना,
- एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करना,
- प्रयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री की प्रभावकारिता पर अनुसंधानात्मक अध्ययन कराना,
- पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, शिक्षकों का प्रशिक्षण और महिला प्रशिक्षण संस्थाओं का परिवीक्षण करना।

संधान :

- परिवीक्षकों–प्रायोजना प्रसार अधिकारी/विकास अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों का प्रशिक्षण,
- विभिन्न विकास खंडों में शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण का आयोजन और समन्वयन,
- शिक्षाकर्मियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना और तदनुसार विविध क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से सुधार के उपाय करना,
- विभिन्न सहयोगी गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय भुगतान करना,
- अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय को गैर सरकारी संस्थाओं के चयन और सहकार में सहायता करना,
- गैर सरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आयोजित शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण में भाग लेना और उसे जहां आवश्यक हो वहां पुनर्बलित करना,
- संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में राज्य प्रशिक्षण संस्थान के साथ समन्वय करना,

– विकास खंडों को शिक्षाकर्मियों के चयन में सहायता करना,
– पाठ्यक्रम तथा सामग्री निर्माण के क्षेत्र में नवाचार और प्रयोगात्मक कार्य हाथ में लेना।

विकास अध्ययन संस्थान :

– पूरी अवधि तक सम्पूर्ण प्रायोजना कार्यों का सहकारी मूल्यांकन,
– कार्यान्तर्गत मूल्यांकन प्रणाली का विकास करने के प्रयोजन से हर स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करना,
– प्रायोजना कार्य के विशिष्ट पक्षों पर अनुसंधान आयोजित करना।

जिला/विकास खंड स्तरीय गैर सरकारी संस्थाएं :

– शिक्षाकर्मी-गाँवों के चयन में भाग लेना,
– शिक्षाकर्मियों के चयन में भाग लेना,
– शिक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना,
– गाँव वालों में नई योजना के लिए उद्यतता जगाना,
– शिक्षाकर्मियों से निरंतर सम्पर्क तथा संवाद कायम करना, समर्थन देना,
– प्रति माह शिक्षाकर्मियों की दो दिवसीय बैठकों में भाग लेना,
– निरंतर प्रबोधन और मूल्यांकन में विकास अध्ययन संस्थान की सहायता,
– प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराना,
– राज्य प्रशिक्षा संस्थान तथा अन्य संगठनों की निरंतर प्रतिपुष्टि देना।

परिशिष्ट–4

संख्यात्मक लक्ष्य :

रात्रि केंद्रों में नामांकन :

इन लक्ष्यों का आधार 30 शिक्षाकर्मी और 750 शिक्षाकर्मियों का प्रति विकास खंड औसत है। इसमें अधिकतम संख्या बताई गई है और उसमें अपक्षरित होने वाले अथवा दो वर्ष से अधिक समय तक अध्ययन में रह जाने वाले छात्रों को परिगणित नहीं किया गया है।

वर्ष/वि. खं. संख्या		वर्ष 1	2	3	4	5	6	योग
1	10	7,500	–	7,500	–	7,500	–	22,500
2	+20	–	15,000	–	15,000	–	15,000	45,000
3	+20	–	–	15,000	–	15,000	–	30,000
4	+30	–	–	–	22,500	–	22,500	45,000
5	+30	–	–	–	–	22,500	–	22,500
6	+30	–	–	–	–	–	22,500	22,500
	140	7,500	15,000	22,500	37,500	45,000	60,000	1,87,500

दिवस केंद्रों में नामांकन :

प्रति विकास खंड 34 शिक्षाकर्मी और 800 छात्रों के औसत पर आधारित ये संख्यात्मक लक्ष्य अनुमानित हैं और इनमें अपक्षरण की संभावना परिगणित नहीं है।

वर्ष/वि. खं. संख्या		वर्ष 1	2	3	4	5	6	योग
1	10	8,000	–	–	–	–	8,000	16,000
2	+20	–	16,000	–		–	–	16,000
3	+20	–	–	16,000	–	–	–	16,000
4	+30	–	–	–	24,000	–	–	24,000
5	+30	–	–	–	–	24,000	–	24,000
6	+30	–	–	–	–	–	24,000	24,000
	140	8,000	16,000	16,000	24,000	24,000	32,000	1,20,000

महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकन :

	केंद्रों की सं.	वर्ष 1	2	3	4	5	6	योग
1	2	60	–	–	60	–	–	120
2	2	–	60	–	–	60	–	120
3	3	–	–	90	–	–	90	180
4	3	–	–	–	90	–	–	90
5	5	–	–	–	–	150	–	150
6	5	–	–	–	–	–	150	150
	20	60	60	90	150	210	240	810

समग्र सूची : विकास खंड, केंद्र तथा नामांकन :

वर्ष	विकास खंड	दिवस केंद्र	रात्रि केंद्र	दिवस केंद्र नामांकन	रात्रिकेंद्र नामांकन
1	10	150	300	8,000	7,500
2	20	300	600	16,000	15,000
3	20	300	600	16,000	22,000
4	30	450	900	24,000	37,500
5	30	450	900	24,000	45,000
6	30	450	900	32,000	60,000
योग	140	2,100	4,200	1,20,000	1,87,500